उद्योग

9
अध्याय

देश में दीर्घावधिक प्रवृत्ति के संदर्भ में औद्योगिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के समान बनी रही है। पश्च-सुधार अवधि के दौरान 1991-2 और 2011-12 के बीच खनन, विनिर्माण और बिजली को मिलाकर उद्योगों की दीर्घावधिक औसत वार्षिक वृद्धि 6.9 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की तुलना में औसतन 6.7 प्रतिशत रही है। निर्माण को उद्योग में मिलाने से यह वृद्धि बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गई। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण सहित उद्योग का हिस्सा सुधार-पश्च अवधि में लगभग 28 प्रतिशत पर सामान्यत: स्थिर बना रहा। औसत हिस्से का मानक विपथन बहुत थोड़ा था और 5 प्रतिशत से कम अंतर का गुणांक इस स्थायित्व को मान्य करता है। विनिर्माण का हिस्सा भी, जो उद्योग के भीतर सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्र है, इस अवधि के दौरान 14-16 प्रतिशत के बीच स्थिर बना रहा है। यह हिस्सा चीन (40 प्रतिशत से अधिक) और कुछ पूर्व एशियाई देशों (30 प्रतिशत से अधिक) की तुलना में कम है।

9.2 औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार 1999-2000 में 64.6 मिलियन व्यक्तियों से बढ़कर 2009-10 में 100.7 मिलियन व्यक्ति हो गया। कुल रोजगार में उद्योग का हिस्सा 1999-2000 में 16.2 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 21.9 प्रतिशत हो गया। हालांकि, यह वृद्धि मोटे तौर पर निर्माण क्षेत्र में रोजगार अवसरों के विस्तार के कारण हुई थी जो 1999-2000 में 17.5 मिलियन से 2009-10 में 44.2 मिलियन हो गई।

9.3 सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग के हिस्से की प्राय: स्थिरता और वास्तव में पिछले एक या दो वर्षों से इंगित करती है कि इस क्षेत्र की गतिशीलता का अभी पूरी तरह दोहन नहीं हुआ है। खुला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माहौल और तीव्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, जो इस क्षेत्र की विशेषता दर्शाते हैं, इस क्षेत्र के नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धी होने की अपेक्षा करते हैं। इस क्षेत्र के एक तरफ तो कच्चे माल व प्राकृतिक संसाधनों के साथ संपर्क और दूसरी तरफ मध्यवर्तियों, पूंजीगत माल और उपभोक्ता सामान के बीच अंतरा-क्षेत्र अंतर-निर्भरता अनेक हैं, जो प्राय: हितों के टकराव के चलते नीतियों को अधिक विवेकपूर्ण तरीके से मिलाने की अपेक्षा करते हैं।

औद्योगिक निष्पादन

9.4 प्रत्येक माह जारी किया जाने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) औद्योगिक निष्पादन का महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष 1993-94 के आधार वाली पूर्ववर्ती आईआईपी शृंखला को जून 2011 में जारी 2004-05 के आधार वाली नई आईआईपी शृंखला ने प्रतिस्थापित किया था (ब्यौरे के लिए बाक्स 9.1 देखें)। चूंकि आईआईपी एक नियत भारांश और नियत आधार शृंखला है, दिनांकित आधार की औद्योगिक परिदृश्य प्रतिबिंबित करने में सीमाएं होती हैं। नई शृंखला का बड़ा हालिया आधार ही नहीं है, इसके वृहद् और अधिक प्रतिनिधि उत्पाद समूह व भारांश हैं जो वस्तुत: क्षेत्रों, उत्पादों और उत्पाद समूहों के उचित सापेक्ष महत्व को प्रतिबिंबित करते हैं।

9.5 आईआईपी के संदर्भ में मापित हाल की औद्योगिक वृद्धि उतार-चढ़ाव की प्रवृत्तियां दर्शाती है। वृद्धि 2007-08 में 15.5 प्रतिशत पर पहुंच गई थी और फिर मंदी आनी शुरु हो गई। औद्योगिक वृद्धि में आरंभिक मंदी मोटे तौर पर वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण थी। हालांकि, औद्योगिक मंदी में सुधार हुआ जो 2008-09 में 2.5 प्रतिशत से 2009-10 में 5.3 प्रतिशत और

बाक्स 9.1 : आई आई पी (आधार 2004-05=100)

1. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 1993-94 के आधार वाली आईआईपी शृंखला को प्रतिस्थापित करते हुए 10 जून, 2011 को 2004-05 के नए आधार वाली नई आईआईपी शृंखला जारी की है।

2. अपने आधार को और हालिया वर्ष में लाने के अतिरिक्त औद्योगिक संरचना के बेहतर प्रग्रहण के लिए नई शृंखला का व्यापक और अधिक प्रतिनिधि समूह है। नई शृंखला के लिए भारांश चित्र भी विद्यमान 1993-4 और संशोधित 2004-5 शृंखला में अनेक मदों/उत्पादों के भारांश के साथ क्षेत्रवार तुलनात्मक स्थिति के अनुरुप पुन:तैयार किया गया है:

विद्यमान और प्रस्तावित आईआईपी शृंखला की तुलनात्मक विशेषताएं

	मदों की संख्या		मद समूहो की संख्या		भारांश	
	1993-1994	2004-2005	1993-1994	2004-2005	1993-1994	2004-2005
खनन	64	61	1	1	104.73	141.57
विनिर्माण	473	620	281	397	793.58	755.27
बिजली	1	1	1	1	101.69	103.16
जोड़	**538**	**682**	**283**	**399**	**1000**	**1000**

इस शृंखला समूह में शामिल की गई कुछ नई महत्वपूर्ण मदें हैं, दुग्ध (मलाईदार/पेस्चरीकृत) चावल; पशु व मुर्गी आहार; ऊनी कालीन; पहनावे; लेखन और मुद्रण कागज; समाचार पत्र; प्रोपीलीन; शुद्ध टेरीफथालिक एसिड; मिश्रित श्रेणी के उर्वरक; पैराक्साइलीन; एंटीबायेटिक्स और उसके उत्पाद; एचडीपीई और एलडीपीई बैगों सहित पालीथीन बैग; कांच की शीटें; रिफ्रेक्ट्री ईंटें; मार्बल टाइलें/स्लैब; ग्राइंडिंग व्हील्स; एल्यूमिनियम; इस्पात के ढांचे; हीट एक्सचेंजर्स; सभी प्रकार की इन्सुलेटिड केबल्स वायर्स; रंगीन टीवी सेट; सभी प्रकार के लेंस; लकड़ी का फर्नीचर; कॅयर दरियां और चटाई; रत्न और जवाहरात; तांबा और तांबे के उत्पाद; पोली विनाईल क्लोराइड; पालीप्रोपीलीन (को-पोलीमर सहित): और शीरा। दूसरी तरफ कुछ अप्रचलित/निरर्थक उत्पाद जैसे टाइपराइटर्स और टेपरिकार्डर को छोड़ दिया गया है।

2010-11 में 8.2 प्रतिशत हो गई। अमरीकी और यूरोपीय देशों में कमजोर आर्थिक समुत्थान और स्वदेश में संतुलित रुप से मंद अपेक्षाओं ने चालू वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि को प्रभावित किया। समग्र वृद्धि अप्रैल-दिसंबर, 2011 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 8.3 प्रतिशत की तुलना में 3.6 प्रतिशत रह गई। आईआईपी के प्रमुख संघटकों के संदर्भ में वृद्धि सारणी

सारणी 9.1 : आई.आई.पी. और इसके प्रमुख घटकों में वृद्धि

(प्रतिशत)

	वित्त वर्ष				अप्रैल-दिसम्बर			
	भारांश	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2008	2009	2010	2011
समग्र आईआईपी	100.0	2.5	5.3	8.2	5.7	2.4	8.3	3.6
संरचित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के संदर्भ में								
खनन	14.16	2.6	7.9	5.2	3.2	7.0	6.9	-2.7
विर्निर्माण	75.53	2.5	4.8	9.0	6.3	1.4	9.0	3.9
विद्युत	10.32	2.7	6.1	5.5	2.7	5.8	4.6	9.4
प्रयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में								
बुनियादी वस्तुएं	45.68	1.7	4.7	6.0	2.2	3.9	5.7	6.1
पूंजीगत वस्तुएं	8.83	11.3	1.0	14.8	22.4	-8.2	18.4	-2.9
मध्यवर्ती वस्तुएं	15.69	0.0	6.0	7.4	1.5	4.1	8.0	-0.8
उपभोक्ता वस्तुएं	29.81	0.9	7.7	8.6	5.0	4.9	7.4	5.7
टिकाऊ वस्तुएं	8.46	11.1	17.0	14.2	16.1	12.6	13.8	5.3
टिकाऊ-भिन्न वस्तुएं	21.35	-5.0	1.4	4.3	-1.4	-0.4	2.5	6.1

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चित्र 9.1 आईआईपी और उनके मुख्य घटकों में वृद्धि (प्रतिशत)

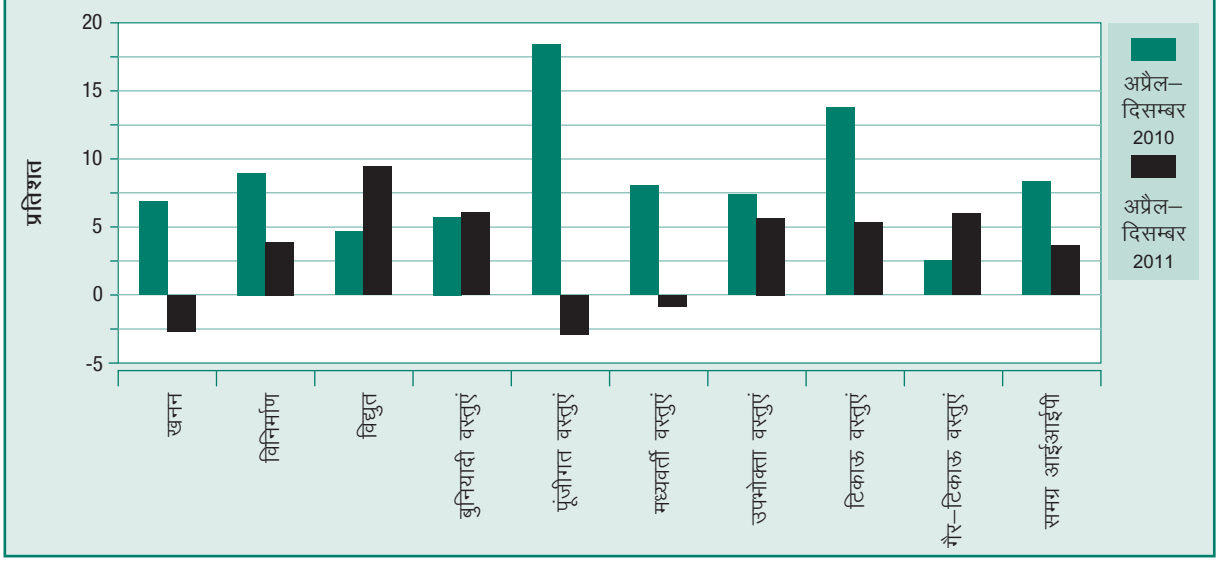

चित्र 9.2 आईआईपी व्यापक क्षेत्रों में वृद्धि

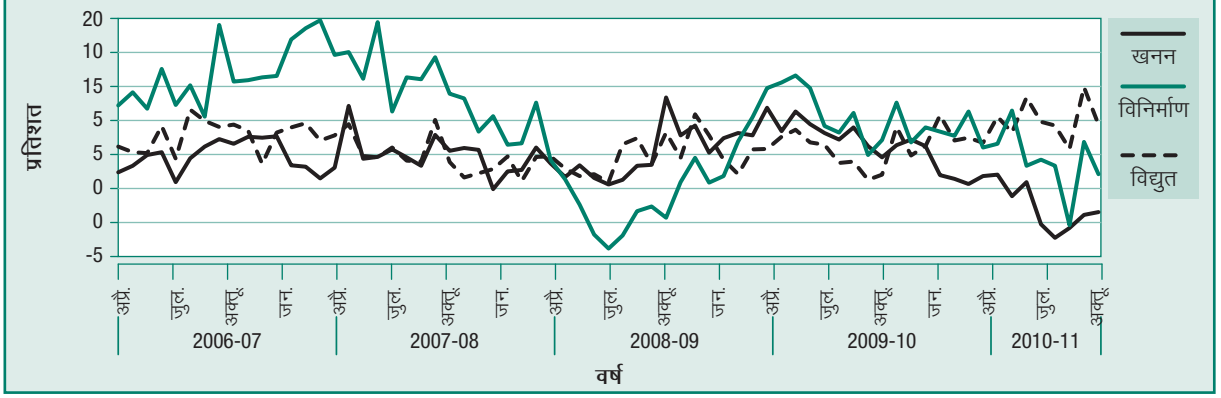

चित्र 9.3 आईआईपी के उपभोग आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में वृद्धि

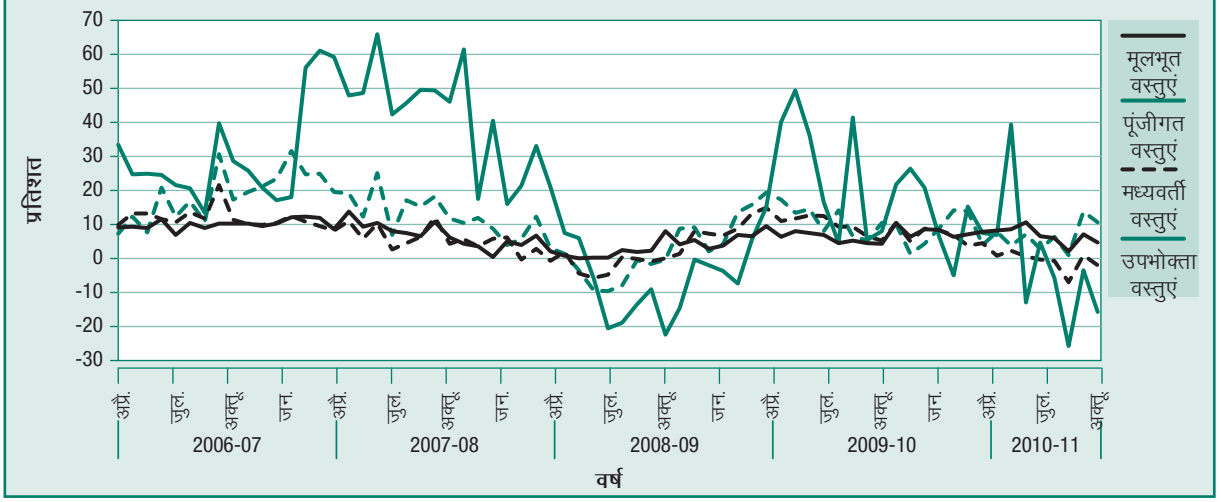

9.1 और चित्र 9.1 में इंगित की गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण और प्रयोग आधारित वर्गीकरण के अर्थ में प्रत्येक महीने की आईआईपी वृद्धि क्रमश: चित्र 9.2 और चित्र 9.3 में इंगित की गई है।

9.6 चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-दिसंबर) में खनन क्षेत्र, खासकर कोयला और प्राकृतिक गैस संघटकों में उत्पादन में कमी आई थी। उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप वृद्धि में इसका योगदान

सारणी 9.2 : आईआईपी वृद्धि में योगदान अप्रैल-दिसंबर (प्रतिशत)

	भार	2008	2009	2010	2011
खनन	14.16	6.4	32.1	9.4	-8.3
विनिर्माण	75.53	89.4	46.8	85.6	85.6
विद्युत	10.32	4.2	21.2	5.0	22.6
उपयोगिता आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में					
बुनियादी वस्तुएं	45.68	16.2	64.8	27.8	65.7
पूंजीगत वस्तुएं	8.83	52.2	-52.9	30.2	-12.0
मध्यवर्ती वस्तुएं	15.69	3.7	24.1	13.6	-3.3
उपभोक्ता वस्तुएं	29.81	28.0	64.0	28.4	49.4
टिकाऊ वस्तुएं	8.46	32.7	67.3	23.0	21.3
टिकाऊ-भिन्न वस्तुएं	21.35	-4.8	-3.3	5.5	28.1

स्रोत : आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग

सारणी 9.3 : आईआईपी वृद्धि में अस्थिरता

	औसत वृद्धि वृद्धि	मानक विपथन	अंतर का गुणांक
समग्र आईआईपी	8.3	6.5	78.0
खनन	4.1	4.1	99.4
विनिर्माण	9.3	8.0	85.6
विद्युत	6.1	3.1	50.5
उद्योगों के प्रयोग आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में			
बुनियादी वस्तुएं	6.1	3.3	54.2
पूंजीगत वस्तुएं	18.0	23.2	128.6
मध्यवर्ती वस्तुएं	5.6	5.7	101.4
उपभोक्ता वस्तुएं	9.8	8.6	88.5

स्रोत : आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग

ऋणात्मक हो गया। बिजली क्षेत्र में चालू वर्ष में वृद्धि में सुधार देखा गया है। इस क्षेत्र ने समग्र औद्योगिक वृद्धि में 22.6 प्रतिशत का योगदान किया है जो आईआईपी में इसके भारांश के दोगुने से भी अधिक है (सारणी 9.2)। विनिर्माण क्षेत्र में भी वृद्धि में कमी आई है जो अप्रैल-दिसंबर 2010 में 9.0 प्रतिशत से अप्रैल-दिसंबर, 2011 में 3.9 प्रतिशत रह गई।

9.7 आईआईपी के प्रयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, चालू वर्ष (अप्रैल-दिसंबर) में, 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बुनियादी वस्तुओं और 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में सापेक्ष रुप से बेहतर वृद्धि हुई थी। आईआईपी के अन्य संघटकों में वृद्धि में कमी आई थी और पूंजीगत माल व मध्यवर्तियों के संघटकों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। चालू वर्ष की वृद्धि में सबसे अधिक अंशदान बुनियादी सामान के संघटक में हुआ था जो आईआईपी में अपने 65.7 प्रतिशत भारांश से बढ़ा है। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का अंशदान भी 28.1 प्रतिशत पर आईआईपी में अपने भारांश से बढ़ा है।

9.8 आईआईपी के सभी स्थूल क्षेत्रों में वृद्धि में अस्थिरता देखी गई है। अप्रैल, 2006 से दिसंबर, 2011 के दौरान आईआईपी वृद्धि 8.3 प्रतिशत की औसत वृद्धि और 6.5 के मानक विपथन के चलते-7.2 से 20.0 प्रतिशत के बीच अलग-अलग रही है। जबकि विभिन्न क्षेत्रकों में अलग-अलग अस्थिर स्पेक्ट्रम थे परन्तु पूंजीगत सामान और मध्यवर्तियां सर्वाधिक अस्थिर थे। असल में, विनिर्माण क्षेत्र की अस्थिरता मोटे तौर पर पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती संघटकों की वृद्धि में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण थी। पूंजीगत सामान के मामले में वृद्धि 18.0 प्रतिशत की औसत वृद्धि और 23.2 के मानक विपथन के चलते-26.5 प्रतिशत से 65.1 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही है (सारणी 9.3)।

9.9 विनिर्माण क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी-2004) (सारणी 9.4 देखिए) के दो-अंकीय स्तर पर अलग करते हुए आईआईपी में 22 उप-समूहों के लिए अलग-अलग वृद्धि दरों की व्यवस्था की गई है। सभी उप-समूहों में वृद्धि भिन्न हुई है। अप्रैल-दिसंबर, 2011 में आईआईपी में 29.23 प्रतिशत भारांश के चलते 7 विनिर्माण उप-समूह थे, जिन्होंने 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की, 26.6 प्रतिशत के साथ 9 उप-समूहों ने 10 प्रतिशत के स्तर से नीचे धनात्मक वृद्धि दर्ज की थी और 19.7 प्रतिशत भारांश के चलते 6 उप-समूह ऐसे थे जिन्होंने ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की थी। अप्रैल-दिसंबर, 2010 में 16.8 प्रतिशत भारांश के चलते 7 उप-समूहों ने 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की थी, 47.6 प्रतिशत भारांश के चलते 11 उप-समूहों ने घनात्मक परन्तु 10 प्रतिशत से नीचे वृद्धि दर्ज की और 11.1 प्रतिशत भारांश के चलते 4 उप-समूह ऐसे थे जिनकी अभिवृद्धि ऋणात्मक थी। यद्यपि चालू वर्ष में वे उप-समूह, जिन्होंने दो-अंकीय वृद्धि दर्ज की, भारांश के संदर्भ में बढ़े हैं (उप-समूहों का सापेक्ष महत्व), अन्य क्षेत्रों में तीव्र गिरावट के परिणामस्वरूप समग्र वृद्धि में मंदी आई है।

कारपोरेट क्षेत्र का निष्पादन

9.10 कारपोरेट क्षेत्र की बिक्रियां औद्योगिक निष्पादन का दूसरा संकेतक हैं। सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम 2011-12 के दौरान सुदृढ़ बिक्री वृद्धि (सांकेतिक अर्थों में) इंगित करते हैं। चालू वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में बिक्री वृद्धि 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही है। यद्यपि बिक्री वृद्धि 2009-10 की चौथी तिमाही में 34.9 प्रतिशत के शिखर से गिरी है, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 19.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में बेहतर है। हालांकि, व्यय वृद्धि ने राजस्व वृद्धि

सारणी 9.4 : विनिर्माण उप-समूहों की वृद्धि दर और वृद्धि में उनका अंशदान
(प्रतिशत)

	वृद्धि दर अप्रैल-दिसंबर			वृद्धि में अंशदान अप्रैल-दिसंबर		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
खाद्य उत्पाद और पेय	-6.5	3.6	17.4	-17.9	2.5	27.0
तंबाकु उत्पाद	-0.9	5.4	4.6	-0.4	0.7	1.3
कपड़ा	6.8	5.9	-2.7	14.5	3.8	-3.9
पहनने के परिधान	1.6	4.0	-4.8	1.7	1.2	-3.1
सामान, जूते और चमड़े के उत्पाद	0.6	6.8	4.9	0.1	0.3	0.5
लकड़ी और लकड़ी का सामान	-2.0	-0.5	0.7	-1.0	-0.1	0.2
कागज और कागज के उत्पाद	1.8	8.4	4.4	0.6	0.8	1.0
प्रकाशन, मुद्रण और रिकार्डिड मीडिया का पुनः उत्पादन	-9.8	11.2	20.4	-4.5	1.3	5.5
कोक, पैट्रोलियम उत्पाद और नाभकीय ईंधन	-1.7	-1.6	4.2	-4.2	-1.0	5.7
रसायन और रसायन उत्पाद	5.3	0.2	0.2	17.9	0.2	0.4
रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	15.0	14.1	-1.7	12.4	3.7	-1.1
अन्य धातु-भिन्न खनिज उत्पाद	6.9	4.5	4.5	11.5	2.2	4.9
बुनियादी धातुएं	1.1	7.6	10.7	5.8	11.1	35.5
निर्मित धातु उत्पाद	2.9	14.4	13.0	3.8	5.3	11.5
मशीनरी और उपस्कर एन॰ई॰सी॰	5.8	31.3	-2.5	10.7	17.0	-3.7
कार्यालय, लेखाकरण और संगणन मशीनरी	3.1	-12.3	6.2	0.4	-0.5	0.4
बिजली मशीनरी और उपकरण	-19.8	8.2	-21.2	-65.6	6.0	-35.6
रेडियो, टीवी और संचार के उपस्कर व उपकरण	6.3	13.7	7.7	13.5	8.8	11.9
चिकित्सा, प्रिसिजन और दृष्टि संबंधी यंत्र, घड़ियां और दीवार घड़ियां	-10.6	5.6	11.2	-1.9	0.3	1.1
मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर	19.6	33.5	11.6	32.0	18.2	17.8
अन्य परिवहन उपस्कर	20.8	25.7	15.3	14.7	6.1	9.7
फर्नीचर, अन्य विनिर्माण	2.0	-6.4	-1.7	2.6	-2.3	-1.2

स्रोत : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
टिप्पणियां : एन.ई.सी. : कहीं और वर्गीकृत नहीं किया गया।

को पीछे छोड़ दिया जिससे निवल लाभों में न्यून वृद्धि हुई जो हाल की दो तिमाहियों में गिरे हैं। उच्च व्यय वृद्धि शुरु में कच्चे माल पर अधिक खर्च होने के कारण हुई थी परन्तु ब्याज पर व्यय 2011-12 की दूसरी और तीसरी तिमाही में अधिक तीव्रता से बढ़ा है (सारणी 9.5)।

9.11 बिक्रियों में निवल लाभों के अनुपात द्वारा मापित विनिर्माण कंपनियों का निवल लाभ अंतर 2010-11 की दूसरी तिमाही में 8.1 प्रतिशत से निरंतर गिरा है और 2011-12 की दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत पर पिछली 12 तिमाहियों में निम्नतम था। तीसरी तिमाही में निवल लाभ अंतर में मामूली सुधार हुआ है। यद्यपि तीसरी तिमाही के आंकड़े कंपनियों के थोड़े से नमूनों पर आधारित हैं और इनकी व्याख्या सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। ये सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के निष्पादन के सभी बड़े मापदंडों में सुधार इंगित करते हैं।

सारणी 9.5 : सूचीबद्ध विनिर्माण कम्पनियों के महत्वपूर्ण मापदंडों में वृद्धि

मद	2009-2010				2010-2011				2011-2012		
	पहली ति॰	दूसरी ति॰	तीसरी ति॰	चौथी ति॰	पहली ति॰	दूसरी ति॰	तीसरी ति॰	चौथी ति॰	पहली ति॰	दूसरी ति॰	तीसरी ति॰*
कंपनियों की संख्या	1885	1876	1901	1912	1900	1933	1961	1953	1935	1922	882
वृद्धि दरें (प्रतिशत)											
बिक्रियां	-2.7	-0.4	+28.7	34.9	28.8	21.2	19.0	23.3	24.9	19.7	22.6
कच्चा माल	-14.5	-4.7	35.5	46.6	40.6	21.9	20.9	30.5	28.8	23.8	32.2
कर्मचारियों पर खर्च	9.9	9.1	12.0	18.1	16.9	20.4	21.1	18.2	17.5	15.3	12.7
ब्याज लागतें	8.3	-2.1	-5.0	1.1	10.9	7.8	13.7	23.1	20.5	41.5	44.2
कर के बाद लाभ	3.2	17.6	178.0	69.4	8.2	10.9	14.6	7.1	9.6	-18.3	-15.4
बिक्रियों से कर के बाद लाभ	9.2	9.0	8.0	8.6	8.0	8.1	7.7	7.4	6.8	5.4	6.2

स्रोत : निजी कारपोरेट व्यवसाय क्षेत्र के कारपोरेट निष्पादन संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन
टिप्पणियां : *अनंतिम

औद्योगिक निवेश

सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ)

9.12 सतत औद्योगिक विकास के लिए निवेश और क्षमतावर्धन संवेदनशील हैं। राष्ट्रीय लेखों में आंकड़े उद्योग में सकल पूंजी निर्माण की वृद्धि में स्पष्ट रूप से संयम दर्शाते हैं। उद्योग के चार बड़े क्षेत्रों जिसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत और निर्माण शामिल हैं, में सकल पूंजी निर्माण की विकास दर 2004-11 के दौरान औसतन 10.9 प्रतिशत है। जो पूर्ण अर्थव्यवस्था में, सकल पूंजी निर्माण की वृद्धि दर के लगभग समान है। अपंजीकृत विनिर्माण, जो मुख्यरूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हिस्से को कवर करते हैं, की इस अवधि के दौरान केवल 0.8 प्रतिशत की सबसे कम मध्यम अवधि की वृद्धि हुई थी। 2008-09 में, सकल पूंजी निर्माण की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, परंतु 2010-11 में 7.00 प्रतिशत तक संयमित होने से पहले 2009-10 में तीव्र वी-आकृति की वसूली की साक्षी थी। विनिर्माण संबंधी सकल पूंजी निर्माण की वृद्धि दर 2009-10 में 42 प्रतिशत से गिरकर 2010-11 में 7.1 प्रतिशत हो गई थी। 2007-08 में 54.9 प्रतिशत के स्तर तक जाने के बाद, उद्योग में सकल पूंजी निर्माण का हिस्सा समग्र सकल पूंजी निर्माण के प्रतिशत के रूप में 2010-11 में 48.3 प्रतिशत तक संयमित रहा है (सारणी 9.6)।

सारणी 9.6 : उद्योग में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ)

(2004-05 की कीमतों पर करोड़ ₹ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	सीएजीआर
खनन	37322	52259	60456	68372	57045	65984	70389	11.2
विनिर्माण	344517	404928	474405	611928	420506	598445	640982	10.9
(i) पंजीकृत	245984	342629	380403	521430	378044	497545	537676	13.9
(i) अपंजीकृत	98533	62298	94002	90498	42462	100900	103305	0.8
विद्युत	53300	64673	76369	86007	98993	102278	103255	11.7
निर्माण	54445	57531	95799	115157	88523	86290	98426	10.4
कुल उद्योग	489584	579391	707029	881464	665067	852999	913051	10.9
विकास दर		18.3	22.0	24.7	-24.5	28.3	7.0	
कुल जीसीएफ	1011178	1183303	1364821	1606175	1566233	1720117	1890645	11.0
कुल जीसीएफ के प्रतिशत के रूप में उद्योग में जीसीएफ का हिस्सा	48.4	49.0	51.8	54.9	42.5	49.6	48.3	

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और सीएसओ
टिप्पणी : सीएजीआर–मिश्रित वार्षिक विकास दर है।

सारणी 9.7 : दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आईईएम) में दर्शाया गया निवेश

(₹ करोड)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (जन०–दिस०)
भोजन	62845	10531	15941	15637	19663	30848
संधान उद्योग	8008	5171	8230	4566	3139	6644
वस्त्रोद्योग	26325	24136	11244	9200	26566	26174
काष्ठ	-	105	622	96	122	488
कागज	8199	4673	5849	6037	6272	5315
चमड़ा	148	266	106	106	161	474
रसायन	45722	36745	155767	27676	56173	57145
रबड़	2403	1197	3048	2118	5819	8292
सीमेंट	42406	76946	125954	53742	101318	81406
धातुएं	144128	181818	365031	254285	391805	268895
मशीनरी	165227	375543	556715	503651	955091	815030
परिवहन	10688	11321	24890	5048	12290	9695
अन्य	48669	70697	208230	96354	84888	220747
ईंधन	23782	35100	42225	61743	73015	8575
कुल	**588550**	**834249**	**1523852**	**1040259**	**1736322**	**1539728**

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी

निवेश के आशय

9.13 यद्यपि सकल पूंजी निर्माण निवेश की वास्तविकता को दर्शाता है, दर्ज कराए गए निवेश आशय औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) में उद्योग तथा उद्यमी अवधारणा में संभावित निवेश प्रवाहों का अग्रिम संकेत देते हैं। निवेश के आशय निवेशकों की क्षेत्रवार वरीयता भी उपलब्ध कराते हैं और समयानुसार इन वरीयता क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाते हैं। 2001–10 के दौरान, किए गए आईईएम में दर्ज कराया गया समग्र निवेश 38.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर तक बढ़ गया है। 2009 में कमी देखने के बाद 2010 में निवेश आशय बढ़ा है जो व्यवसाय भावना में पुनर्जीवन तथा उद्यमी अवधारणा में सुधार दर्शाता है। 2011 (जनवरी–दिसम्बर) में इसने गति को बनाए रखा है हालांकि यह गति धीमी थी। धातुएं, मशीनरी, सीमेंट, रसायन और ऑटो क्षेत्र वरीयता प्राप्त उद्योगों के रूप में प्रभुत्व बनाए हुए हैं (सारणी 9.7)।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई)

9.14 गैर-ऋण पूंजी प्रवाह होने के नाते, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी वित्तपोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए। यह केवल पूंजीगत और तकनीकी जानकारी ही नहीं लाता, बल्कि अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाता है। समग्र रूप से यह घरेलू निवेश को पूरा करता है, जो देश की उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। 2000 से, सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीतिगत व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत आकर्षक और निवेशक अनुकूल स्थल के रूप में बने।

9.15 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वर्तमान चरण ऋणात्मक सूचीकरण द्वारा पहचाना जाता है जो ऋणात्मक सूची के जारी दर्शाए गए कुछ क्षेत्रों को छोड़कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान करता है। चालू नीतिगत व्यवस्था के अंतर्गत, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों के लिए प्रवेश के तीन बड़े विकल्प हैं। कुछ क्षेत्रों में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आज्ञा नहीं है (ऋणात्मक सूची); क्षेत्रों की अन्य लघु श्रेणी में विदेशी निवेश केवल विदेशी इक्विटी सहभागिता के विशिष्ट स्तर तक अनुमत है, सभी अन्य क्षेत्रों वाली तीसरी श्रेणी में, 100 प्रतिशत इक्विटी सहभागिता तक विदेशी निवेश की अनुमति है। तीसरी श्रेणी के दो उपखंड हैं: एक में वे क्षेत्र हैं जहां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वचालित अनुमोदन प्रदान किया जाता है (प्राय: 100 से कम विदेशी इक्विटी सहभागिता) तथा दूसरे में वे क्षेत्र हैं जहां विदेशी निवेश अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन जरूरी है। ये नीतिगत परिवर्तन वर्धमानरूप में उद्योग की जरूरतों को प्रदर्शित करते हैं और हित धारकों के परामर्श पर आधारित है। ऋणात्मक क्षेत्रों के अपफ्रंट सूचीकरण ने सुधार क्षेत्रों में ध्यान लगाने में सहायता की है। जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी अंतर्वाहों में सुधार प्रतिबिंबित करते हैं (सारणी 9.8)।

सारणी 9.8 : एफडीआई अंतर्वाहों में वृद्धि

(बिलियन अमरीकी डॉलर)

वित्तीय वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार*	प्रतिशत वृद्धि	एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह#	प्रतिशत वृद्धि
2003-04	4.32	- 14%	2.19	- 19%
2004-05	6.05	+ 40%	3.22	+ 47%
2005-06	8.96	+ 48%	5.54	+ 72%
2006-07	22.83	+ 146%	12.49	+ 125%
2007-08	34.84	+ 53%	24.58	+ 97%
2008-09 (अ)	41.87	+ 20%	27.33	+ 11%
2009-10 (अ)	37.75	-10%	25.83	-5%
2010-11 (अ)	32.90	-13%	19.43	-25%
2011-12 (अप्रैल-दिस॰)	35.35		24.19	-
अप्रैल 2000-दिस॰ 2011	240.06		157.97	

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी
टिप्पणी : * भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार।
 # डीआईपीपी अनुमानों के अनुसार। अ: अनंतिम

9.16 अप्रैल, 2000 से दिसंबर, 2011 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों की संपूर्ण राशि 240.06 बिलियन अमरीकी डालर रही है, जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अंतर्वाह 157.97 बिलियन अमरीकी डालर था। 2009 तथा 2010 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह वैश्विक रूप से कम हुआ है। जबकि भारत 2009-10 में वैश्विक अंतर्वाहों में कमी करने से अपने आपको काफी हद तक बचाने में सक्षम था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह 2010-11 में संयमित रहा। भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों की मजबूती भी बनी हुई है। अप्रैल-दिसम्बर 2011 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 24.19 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 50.8 प्रतिशत बढ़ा था। बॉक्स 9.2 में सरकार द्वारा 2011 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में किए गए कुछ परिवर्तन समाहित हैं।

9.17 सेवाएं (वित्तीय और गैर-वित्तीय), दूरसंचार, आवास और रीयल एस्टेट, निर्माण और विद्युत वे क्षेत्र थे जिन्होंने 2011-12 के प्रथम सात महीनों में अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित किया। कुछ प्रमुख औद्योगिक और अवसंरचना क्षेत्रों में क्षेत्रवार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह सारणी 9.9 में दिया गया है।

औद्योगिक ऋण

9.18 चालू वर्ष में, उद्योगों को ऋण प्रवाह की वृद्धि दर महत्वपूर्ण ढंग से संयमित हुई है। वर्ष दर वर्ष आधार पर, उद्योग में ऋण वृद्धि दिसम्बर-2010 में 31.6 प्रतिशत से दिसम्बर, 2011

बॉक्स 9.2 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में परिवर्तन-2011

- दिनांक 1.4.2011 से प्रभावी-'2011 के परिपत्र 1' में बहुत से महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन शामिल हैं, जिसमें ये भी हैं:- (i) मूल्य की बजाय परिवर्तन सूत्र के आधार पर परिवर्तनीय लिखतों में तेजी का मूल्य निर्धारण (ii) नकद भिन्न मान्यताओं के स्थान पर शेयरों को जारी करने के लिए नई मदों का समावेश जिसमें पूंजीगत वस्तुओं/मशीनरी/उपस्कर का आयात और पूर्व-प्रचालन/पूर्व-समावेश व्यय शामिल हैं (iii) ''समान क्षेत्र में'' विद्यमान संयुक्त उद्यमों/तकनीकी सहयोग के मामले में पूर्व अनुमोदन की शर्त को हटाना (iv) डाउन स्ट्रीम निवेशों से संबंधित मार्ग निर्देशों का सरलीकरण और यौक्तिकीकरण (v) 'नियंत्रित शर्तों' के अंतर्गत ऐसा करने के निर्धारण के बिना बीजों और पौधारोपण सामग्री का विकास और उत्पादन।
- दिनांक 20 मई, 2011 से, सरकार ने विशिष्ट शर्तों के अधीन सीमित देनदारी हिस्सेदारी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी।
- दिनांक 1.10.2011 से प्रभावी '2011 का परिपत्र 2' विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और अधिक सरल बनाता है और जिसमें ये भी हैं: (i) निर्माण विकास क्षेत्र में सामान्य शर्तों से, शिक्षा क्षेत्र और वृद्धाश्रम में निर्माण-विकास गतिविधियों से छूट (ii) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमत कृषि संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत, नियंत्रित शर्तों के अधीन 'मधुमक्खी पालन' का समावेश (iii) औद्योगिक पार्कों के अंतर्गत 'औद्योगिक गतिविधि' के रूप में 'जैव प्रौद्योगिकी भेषजी विज्ञान/जीव विज्ञान के संबंध में मूलभूत तथा अनुप्रयुक्त आर एंड डी', का समावेश (iv) स्थलीय प्रसारण/एफएम रेडियो में विदेशी निवेश हेतु 26% की संशोधित सीमा की अधिसूचना (v) आयातित पूंजीगत वस्तुओं/मशीनरी और पूर्व-प्रचालन/पूर्व-समावेशन व्ययों का इक्विटी लिखतों में परिवर्तन का उदारीकरण (vi) 'शेयरों की वचनबद्धता' के संबंध में प्रावधानों का प्रारंभ और विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन बिना ब्याज वाले विलंब विलेख खातों को खोलना।
- दिनांक 8 नवम्बर, 2011 से प्रभावी (छः महीने बाद समीक्षा की जाएगी) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंधा में विद्यमान नीति की समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि सरकारी अनुमोदन मार्ग के जरिए भेषजी क्षेत्र में ब्राउनफील्ड निवेशों (अर्थात् विद्यमान कंपनियों में निवेश) के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- दिनांक 10 जनवरी, 2012 से प्रभावी, सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के संबंध में विस्तृत नीति को सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में उदारीकृत किया है। जिसमें सरकारी मार्ग के अंतर्गत 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देकर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 51% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति थी, जिसमें अतिरिक्त शर्त यह भी थी कि जिन प्रस्तावों में 51% से ज्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल है, उनके संदर्भ में बेचे गए उत्पादों के कम से कम 30% मूल्य की अनिवार्य सोर्सिंग भारतीय लघु उद्योगों/ग्राम एवं कुटीर उद्योगों, कारीगरों और शिल्पकारों से की जानी है।

स्रोत: डीआईपीपी

सारणी 9.9 : उद्योग और अवसंरचना में क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

	1991-2000	2000-10	2010-11	2010-11 (अप्रैल-दिस.)	2011-12 (अप्रैल-दिस.)	वृद्धि (%)
खाद्य उत्पाद	707.4	1237.3	246.9	170.7	190.8	11.8
सन्धान उद्योग	24.0	770.1	57.7	18.0	53.2	195.0
वस्त्रोद्योग	241.8	828.6	129.8	74.8	94.0	25.6
काष्ठ उत्पाद	0.0	18.8	1.6	1.1	11.6	1002.9
कागज	250.5	716.9	44.0	30.8	341.7	1008.6
चमड़ा	33.5	42.6	9.3	0.4	5.6	1360.5
रसायन	1480.9	4446.1	734.0	589.6	4001.7	578.7
रबड़, प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पाद	90.3	2953.6	573.6	555.0	323.6	-41.7
अधात्विक खनिज	261.1	2263.6	657.3	623.3	207.7	-66.7
धातुएं और धात्विक उत्पाद	186.2	3143.2	1098.1	964.4	1495.3	55.0
मशीनरी एवं उपस्कर	2043.1	15670.4	1846.7	1447.6	3279.0	126.5
परिवहन उपस्कर	0.0	4603.2	1286.1	1048.0	609.6	-41.8
अन्य विनिर्माण	1761.6	5705.6	1495.3	1249.7	706.2	-43.5
खनन (खनन सेवाओं सहित)	0.0	730.9	79.5	75.9	136.6	80.0
विद्युत*	1038.9	5220.9	1464.4	1072.0	1729.4	61.3
दूरसंचार	1089.4	8915.9	1664.5	1326.7	1988.7	49.9
जोड़	**16699.6**	**110289.3**	**19426.9**	**16039.2**	**24187.8**	**50.8**

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, डीआईपीपी

टिप्पणी : इसमें अनिवासी भारतीय (एनआरआई) स्कीमों और सेवा क्षेत्र से संबंधित अंतर्वाह शामिल नहीं है।

*** इसमें अपरंपरागत ऊर्जा शामिल है**

में 19.8 प्रतिशत तक कम हो गयी थी (सारणी 9.10)। ऋण वृद्धि की दर में कमी अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्रों में विशेषरूप से ज्यादा थी। ऋण वृद्धि में यह संतुलन उस अवधि से भी संबद्ध था जिसमें सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के लिए कर के बाद लाभ का बिक्री के साथ अनुपात में गिरावट देखी गई थी।

9.19 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में ऋण वृद्धि में गिरावट जनवरी, 2011 में प्रारंभ हुई और तब से चल रही है। तथापि, दिसम्बर, 2011 में ऋण प्रवाह तेजी से बढ़ा है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए मार्च के अंत से दिसम्बर तक उद्योगों को ऋण देने में 2010-11 की तुलना में चालू राजकोषीय वर्ष में उच्च वृद्धि दर्ज की गई है (चित्र 9.4)।

9.20 दिसम्बर, 2011 में उद्योग में ऋण वृद्धि कागज उत्पादों, वाहनों, वाहन के हिस्सों और परिवहन उपस्कर, रत्न और आभूषण, पैट्रोलियम, कोयला और नाभिकीय उत्पादों, मादक पेयों और तम्बाकू के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से अधिक थी। अन्य हिस्सों में सकल ऋण वितरण वृद्धि कम हुई थी। सकल ऋण वितरण में

चित्र 9.4 उद्योगों मे बकाया ऋण तथा एमओएम वृद्धि

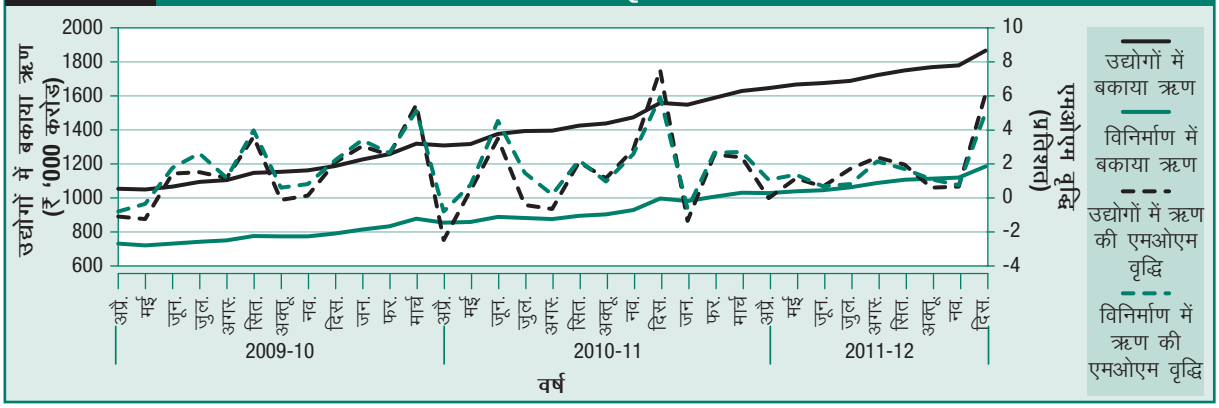

सारणी 9.10 : उद्योगों में ऋण प्रवाह

	30 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण	वृद्धि दर (प्रतिशत)			
		दिस. 2010/ दिस. 2009	दिस. 2011 दिस. 2010	दिस. 2010 मार्च 2010	दिस. 2011/ मार्च 2011
	(₹ करोड़)				
उद्योग	1858500	31.6	19.8	18.3	14.7
निर्माण	54406	13.4	17.5	4.7	8.5
अवसंरचना	596767	45.7	20.5	30.3	13.3
खनन (कोयला सहित)	29514	32.7	39.9	16.6	29.1
विनिर्माण	1177813	26.4	19.2	13.7	15.3

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

कमी कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण थी–जैसे सीमेंट और सीमेंट उत्पाद, रसायन और रासायनिक उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, मौलिक धातुएं और धातु उत्पाद, इंजीनियरिंग और चमड़ा और चमड़ा उत्पाद (चित्र 9.5)।

9.21 वर्ष दर वर्ष आधार पर, खाद्य-भिन्न ऋण और समग्र उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर में कमी के अनुरूप, सूक्ष्म और लघु उद्योगों की वृद्धि दर दिसम्बर, 2010 में 19.9 प्रतिशत से दिसम्बर, 2011 में 7.2 प्रतिशत तक कम हो गयी। मध्यम उद्योगों के मामले में कमी में संयम रहा है, अर्थात् दिसम्बर, 2010 मे 30.3 प्रतिशत से दिसम्बर, 2011 में 25.5 प्रतिशत। वर्ष दर वर्ष आधार पर प्रदान किए जाने वाले प्राथमिकता वाले क्षेत्र के भाग के रूप में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों में ऋण वृद्धि, दिसम्बर, 2010 में 29.6 प्रतिशत से दिसम्बर, 2011 में 11.1 प्रतिशत तक कम हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अग्रिमों का 60 प्रतिशत का सूक्ष्म उद्यमों को आवंटन चरणों में प्राप्त किया जाना है, नामत: वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त बैंकों को सलाह दी गई है कि सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों से लिए गए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अग्रिमों में सूक्ष्म उद्यमों का हिस्सा मार्च, 2010 के अंत में 40.1 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2011 के अंत में 38.7 प्रतिशत तक आ गया है। सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में वृद्धि 2009-10 में 65.3 प्रतिशत से 2010-11 में 6.8 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण रूप से कम हुई है जिससे 10% के निर्धारित लक्ष्य में कमी आयी है। सूक्ष्म उद्यम रोजगार सृजन और समावेशी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इसलिए इन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

चित्र 9.5 ऋण प्रवाह में विनिर्माण उद्योग समूहों का तुलनात्मक हिस्सा

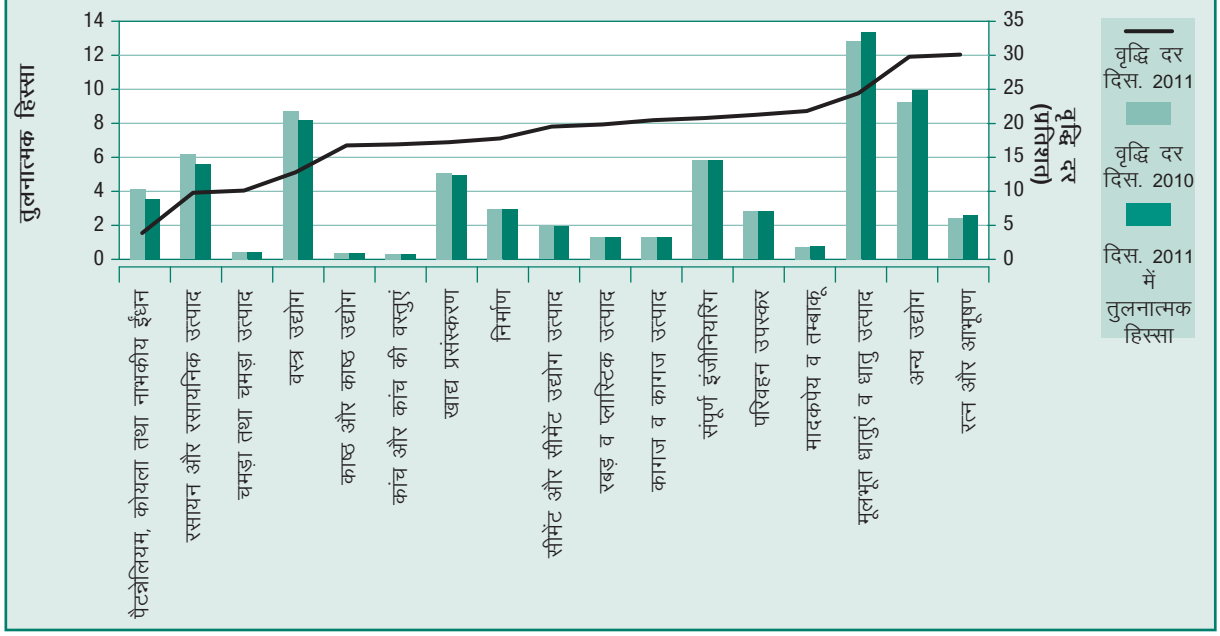

सारणी 9.11 : औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार

	नियोजित व्यक्ति (मिलियन)			रोजगार में अंश (प्रतिशत)			स०घ०उ० का अंश (प्रतिशत)		
	1999-2000	2004-2005	2009-2010	1999-2000	2004-2005	2009-2010	1999-2000	2004-2005	2009-2010
खनन	2.3	2.6	2.9	0.6	0.6	0.6	3.0	2.9	2.3
उत्पादन	43.8	56.1	52.4	11.0	12.2	11.4	15.1	15.3	16.0
बिजली	1.0	1.2	1.3	0.3	0.3	0.3	2.3	2.1	2.0
निर्माण	17.5	26.1	44.2	4.4	5.7	9.6	6.5	7.7	7.9
उद्योग	64.6	85.9	100.7	16.2	18.7	21.9	26.9	27.9	28.1

स्रोत : ये संख्याएं एनएसएसओ घटक श्रमिकों की जनसंख्या अनुपातों तथा जनसंख्या में श्रमिक बल की सहभागिता दरों को लागू करने के उपरान्त प्राप्त हुई हैं।

टिप्पणियां : सामान्य प्रधान तथा गौण स्थिति (यूपीएसएस) आधार पर रोजगार

रोजगार और श्रम संबंध

9.22 आर्थिक सुधारों से अपेक्षा थी कि वह औद्योगिक क्षेत्र श्रम शक्ति को अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक कुंजी के रूप में उभरेगा। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, यद्यपि इन अतिरिक्त अवसरों में से सर्वाधिक अवसर निर्माण क्षेत्र में सृजित किए गए हैं। 2009-10 में निर्माण क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में 7.9 प्रतिशत के हिस्से के मुकाबले 9.6 प्रतिशत कार्यबल नियोजित किया गया। खनन क्षेत्रों में भी रोजगार अवसरों में वृद्धि हुई है। तथापि, विनिर्माण क्षेत्र में समग्र रोजगार के अवसर 2004-05 की तुलना में 2009-10 में कम हुए हैं (सारणी 9.11)।

9.23 केन्द्र व राज्यों, दोनों के औद्योगिक संबंधों की मशीनरियों के सतत प्रयासों के कारण, औद्योगिक संबंधों का माहौल सामान्यत: शांत और सौहार्दपूर्ण रहा है। जबकि 2006 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के दृष्टांतों की संख्या 430 थी, परंतु यह संख्या अक्टूबर, 2011 तक 135 (अनंतिम) थी और इसने इस अवधि के दौरान कमी का रूप प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार, गंवाए गए मानव दिवसों की संख्या 2006 में 20.32 मिलियन और अक्टूबर, 2011 तक 4.19 मिलियन (अनंतिम) थीं (सारणी 9.12)। हड़तालों, तालाबंदियों के स्थानिक/उद्योगवार छितराव के संबंध में, राज्यों/संघ शास्ति क्षेत्रों के संबंध में व्यापक भिन्नताएं हैं। मजदूरी और भत्ते, बोनस, कार्मिक, अनुशासन और हिंसा तक वित्तीय तंगी इन हड़तालों और तालाबंदियों के प्रमुख कारण माने गए हैं।

सारणी: 9.12 : हड़तालें और तालाबंदियां (नष्ट हुए मानव-दिवस)

वर्ष	हड़तालें	तालाबंदियां	नष्ट हुए कुल मानव-दिवस
2006	243	187	20324378
2007	210	179	27166752
2008(अ)	240	181	17433721
2009(अ)	205	187	13364757
2010(अ)	262	165	18025733
2011(अ)(जन.-अक्तू.)	106	29	4194651

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय

टिप्पणी : अ–अनंतिम

उद्योग-पर्यावरण संबंध

9.24 भारत में विविधिकृत औद्योगिक संरचना के विकास ने पर्यावरण पर दवाब उत्पन्न किया है जो बड़े और छोटे-छोटे स्तर के उद्योगों और बढ़ती हुई शहरी व ग्रामीण जनसंख्या के मेल पर आधारित है तथा जो वायु, जल और भूमि के अपकर्ष के बढ़ते हुए दृष्टांतों में प्रदर्शित हुआ है। औद्योगिक प्रदूषण उद्योगों में संकेन्द्रित है जैसे पैट्रोलियम रिफाइनरी, वस्त्र, लुगदी और कागज, औद्योगिक रसायन, लौह और इस्पात तथा गैर-धात्विक खनिज उत्पाद। लघु उद्योग, विशेष रूप से धुलाई घर, रसायन विनिर्माण, ईटें बनाना भी महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं। विद्युत क्षेत्र में, ताप विद्युत, जो बिजली उत्पादन के अधिकांश संस्थापित क्षमता का निर्माण करती है, वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए, नीतियों और निवेश का चयन, इस प्रकार होना चाहिए जो संसाधनों के अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग, कम संसाधनों के अलावा अतिरिक्त वैकल्पिक प्रौद्योगिकी को अपनाना और पर्यावरण संबंधी प्रभाव को कम करने के लिए प्रथाओं को प्रोत्साहित करे।

औद्योगिक प्रदूषण की स्थिति

9.25 वायु प्रदूषकों के दीर्घावधिक रूपों का विश्लेषण (1995-2009) यह दर्शाता है कि जब सल्फर डायआक्साइड नियंत्रित रही है, तब पिछले 15 वर्षों के दौरान नाइट्रोजन

मोनो आक्साइड 11-23 प्रतिशत शहरों में अनुमत स्तरों से ज्यादा हो गया है। अनुपचारित अथवा आंशिक रूप से उपचारित औद्योगिक उत्सर्जनों और बहिस्राव को खुले में छोड़ देना औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में औद्योगिक बहिस्राव जिसमें कार्बनिक प्रदूषक, रसायन और भारी धातुएं तथा खनन जैसे भूमि आधारित कार्यकलापों से निकलने वाला कचरा शामिल होता है। प्रमुख जल प्रदूषक उद्योगों में उर्वरक, रिफाइनरियां, लुगदी और कागज, चमड़ा, धातु प्लेटिंग और अन्य रसायन उद्योग शामिल हैं।

9.26 जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की सतत मानीटरिंग ने यह दर्शाया है कि कार्बनिक प्रदूषण जलीय संसाधनों में प्रमुख प्रदूषक रहे हैं। यह भी अनुमान लगाया गया है कि 75 प्रतिशत जल प्रदूषण स्थानीय निकायों द्वारा अनुपचारित/आंशिक रूप से उपचारित सीवेज को खुले में छोड़े जाने के कारण हैं। यह अनुमान है कि देश के श्रेणी-I के शहरों (498) और श्रेणी-II के कस्बों (410) से लगभग 38,254 मिलियन लीटर प्रतिदिन के अनुमानित मल सृजन के मुकाबले उपलब्ध उपचार क्षमता 11,787 मिलियन लीटर प्रतिदिन की है जो मल सृजन और निर्मित उपचार क्षमता के बीच भारी अंतर को निर्दिष्ट करता है। नदियों में घटते हुए जलप्रवाह के कारण जल की गुणवत्ता की समस्या और अधिक बदतर हो रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड घुली हुई ऑक्सीजन, जैव रसायन आक्सीजन मांग और फीकल कालीफार्म के संदर्भ में 353 नदियों को कवर करते हुए 980 स्थानों पर जल की गुणवत्ता को मॉनीटर कर रहा है। 105 नदियों में एक सौ पचास स्ट्रैच प्रदूषित पाए गए हैं।

9.27 यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 57 मिलियन टन प्रति वर्ष नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) वर्तमान में देश में सृजित किया जाता है। इसके भौतिक-रासायनिक लक्षणों के आधार पर, भारतीय शहरों में सृजित एमएसडब्ल्यू कम्पोस्टिंग के लिए उपयुक्त है। तथापि, वर्तमान में देश की लगभग 6,000 टन प्रतिदिन मिश्रित अपशिष्ट को कंपोस्ट में संसाधित करने की दर क्षमता है। वर्ष में 7.66 मिलियन मीट्रिक टन घातक अपशिष्ट के उत्पादन का अनुमान लगाया है जिसमें से लैंड फिल अपशिष्ट 3.39 मिलियन मीट्रिक टन (44.26 प्रतिशत), भस्म योग्य अपशिष्ट 0.65 मिलियन मीट्रिक टन (8.50 प्रतिशत) तथा पुन: चक्रीय योग्य-घातक अपशिष्ट 3.61 मिलियन मीट्रिक टन (47.13 प्रतिशत) हैं। घातक अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयुक्त प्रर्वतन के अभाव से अपसर्जित घातक अपशिष्ट डंप किया गया है, जिसमें से कुछ भोजन श्रृंखला के जरिए जैव संग्रहित हुआ है जिससे दीर्घावधिक स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं।

9.28 इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रतिदिन लगभग 15,722 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 60% कम संग्रहण दक्षता के कारण पुन: चक्रित होता है। चिमनियों से निकलने वाली राख, फोस्कोजिप्सम और लौह और इस्पात के धातु-मल औद्योगिक ठोस अपशिष्टों के प्रमुख स्वरूप हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 160 मिलियन टन चिमनियों से निकलने वाली राख उत्पन्न होती है जिसमें से लगभग 91. 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष सीमेंट संयंत्रों, फ्लाई एश ईटों, सड़क तटबंधों और खानों के पुन: भरने में उपयोग की जाती है।

वर्तमान कार्यक्रम और नीति

9.29 सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास के लिए निवारक तथा संवर्धात्मक दोनों प्रकार के आवश्यक विधायी तथा विनियामक उपाय किए हैं। इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन से आशा की जाती है कि वह विकास और पर्यावरण की मांगों को सुमेलित करेगा।

9.30 सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों सहित प्रसंस्करण और उद्योगों की 74 श्रेणियों के लिए संबंधित प्रदूषकों हेतु उत्सर्जन और बहि:स्राव मानक अधिसूचित किए हैं। सीपीसीबी सहित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्राधिकरणों ने उद्योगों की 'लाल' और 'नारंगी' श्रेणियों की पहचान की है तथा इन मानकों का अनुपालन करने की शर्त पर सहमति प्रदान की हैं। इन 17 श्रेणियों में कुल 2,608 यूनिटों का पता लगाया गया है जिनमें से 1,924 ने मानकों का अनुपालन करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना की है, 345 यूनिटें दोषी हैं तथा 339 बंद कर दी गयी हैं।

9.31 अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों के संदर्भ में आस-पास के पर्यावरण की पुन:प्राप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्रवाई योजना तैयार की गई है। व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के आधार पर, विभिन्न राज्यों में 43 संवेदनशील प्रदूषित औद्योगिक समूहों का पता लगाया गया है ताकि इन क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और प्रदूषण के भार को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके। औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए, स्रोत विशिष्ट पर्यावरण संबंधी मानक सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। अनुपालन कार्यप्रणाली सुदृढ़ करने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा हेतु सिफारिशों के लिए कारपोरेट दायित्व की समीक्षा की गई है। प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, अनुपालन की प्रगति की मानीटरिंग के लिए, राष्ट्रीय कार्यबलों को गठित करना प्रयोजनीय है। प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किए गए अन्य विनियामक उपायों में पर्यावरण सर्वेक्षण के जरिए उद्योगों का यादृच्छिक

निरीक्षण तथा दोषी यूनिटों को निर्देश जारी करना शामिल है।

9.32 भूमि अथवा जल निकायों में बहिस्रावों को छोड़ने को कम करने तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए शून्य द्रव निपटान को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु सरकार उद्योगों को भी प्रोत्साहन दे रही है। शून्य द्रव निपटान के लिए, क्षेत्र-विशिष्ट नवीन प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की जा रही है जिसमें ल्योफिलाइज़ेशन के जरिए कृशकाय (हाइड्स) और त्वचा का परिरक्षण, सीमेंट के भट्टों में घातक और अघातक भस्म योग्य अपशिष्ट तथा उस स्थान पर सीवेज का जैव-उपचारण शामिल हैं। निर्धारित दिशानिर्देश विभिन्न स्तरों पर सर्वोत्तम प्रथाएं निर्धारित करते हैं जैसे विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं के स्तर। औद्योगिक बहिस्रावों का निपटान जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 और 26 के अनुसार नियमित किया जाता है। देश में विद्यमान प्रदूषण में उपशमन संबंधी अवसंरचना उद्योगों तथा घरेलू बहिस्रावों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की विभिन्न शाखाओं के लिए पर्याप्त उपचार उपलब्ध कराती है।

विनिर्माण में प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा-दक्षता

9.33 उद्योगों की वार्षिक समीक्षा विभिन्न मापदंडों के संदर्भ में संगठित फैक्ट्री क्षेत्र (यदि बिजली प्रयोग कर रहे हैं तो 10 या उससे अधिक कामगार नियोजित हैं) के संबंध में सूचना प्रदान करती है। संगठित विनिर्माण की प्रौद्योगिकी संबंधी गहराई, जो वर्धित मूल्य के हिस्से में वृद्धि के संदर्भ में परिभाषित है, सुधार पश्च अवधि के दौरान संगठित विनिर्माण में खराब रुख दर्शाती है। उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निवेश का हिस्सा वास्तव में 1981-91 के दौरान 77.2 प्रतिशत से 1991-2001 के दौरान 77.3 प्रतिशत तक बढ़ा है और इसके अलावा पिछले दशक में 80 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। इससे पता चलता है कि सामान्यत: भारतीय उद्योग में वृद्धि, विशेषत: संगठित विनिर्माण क्षेत्र में, निवेशों के प्रयोग में वृद्धि से बड़े रूप में चालित हुई थी। तथापि, ऊर्जा के प्रयोग में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। उत्पाद के लिए ईंधन पर व्यय का अनुपात 1981-91 के दौरान 8.2 प्रतिशत से 1991-2001 के दौरान 7.0 प्रतिशत तक गिरा है और 2009-10 में 4.3 प्रतिशत तक और अधिक गिरा है। उद्योग ऊर्जा दक्षता का वर्धमानकारी बोध बन रहे हैं (सारणी 9.13)।

9.34 संगठित विनिर्माण में लगे व्यक्तियों की संख्या 1981-91 में औसत 7.95 मिलियन से 1991-2001 के दौरान औसत 8.98 मिलियन तक बढ़ी है तथा 2009-10 में यह 11.79 मिलियन तक और अधिक बढ़ी है। यह संपूर्ण विनिर्माण में कार्यबल में कमी की तुलना में है जिसमें संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्र कवर किए गए हैं। तथापि, उत्पादन के लिए कुल परिलब्धियों का अनुपात 1981-91 के दौरान 8.75 प्रतिशत से 2009-10 में 3.95 प्रतिशत तक गिरा है, जो इस हालिया वर्ष के हैं जिस के लिए एएसआई के आंकड़े उपलब्ध हैं। संगठित विनिर्माण में लाभप्रदता में वृद्धि हुई है, जिसमें उत्पाद के प्रति लाभ का अनुपात 1981-91 में 3.52 प्रतिशत से 2007-08 में 10.72 प्रतिशत तक बढ़ा है। तथापि, इसके बाद 2009-10 में उत्पाद के प्रति लाभ को अनुपात, जो 8.67 प्रतिशत था, संयमित रहा है। संगठित विनिर्माण की लाभप्रदता अपने बकाया ऋण (चित्र 9.6) और कामगारों को भुगतान की गई परिलब्धियों पर ब्याज दर के संबंध में पर्याप्त रूप से निर्भर प्रतीत होता है। 1998-9 से 2007-8 तक संयत ब्याज दर के रूख से उत्पाद के प्रति लाभ का अनुपात 6 प्रतिशत से बढ़कर 10.7 प्रतिशत हो गया है। 2008-9 में ब्याज दरों में वृद्धि होने से लाभ-उत्पादन अनुपात काफी कम हो गया है। 2009-10 में ब्याज दरों में गिरावट के परिणामस्वरूप लाभ-उत्पादन अनुपात में कोई सुधार नहीं हुआ है।

सारणी: 9.13 : भारत में संगठित निर्माण के कुछ प्रमुख पैरामीटर

विशिष्टता	1981-1991	1991-2001	2001-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
कारखानों की संख्या	101905	127431	132419	144710	146385	155321	158877
उत्पादन की कीमत (बिलियन रुपए)	1450	6469	13923	24085	27757	32728	37228
प्रतिशत में							
लागत/उत्पादन	77.20	77.26	81.04	80.89	80.09	81.32	81.54
ईंधन/उत्पादन	8.21	7.01	5.76	4.99	4.67	4.65	4.34
प्रतिश्रमिक पूंजी निवेश (1000 रुपए)	133	498	872	1037	1225	1355	1638
वेतन/उत्पादन	8.75	6.18	4.35	3.68	3.80	3.96	3.95
लाभ/उत्पादन	3.52	5.58	7.44	10.02	10.72	9.07	8.67
ब्याज की ब्याज दर	11.90	15.31	11.96	9.64	11.34	12.80	11.06

स्रोत: सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चित्र 9.6 ब्याज दर तथा विनिर्माण क्षेत्र के लाभ और उत्पादन का अनुपात

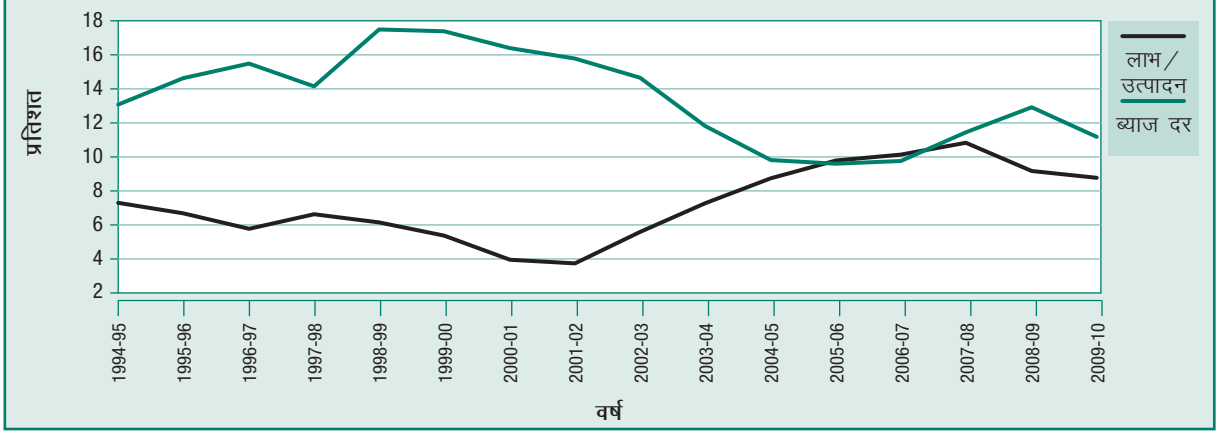

औद्योगिक नीति

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी)

9.35 प्रधानमंत्री समूह जिसे विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उपायों की देखरेख हेतु गठित किया गया था, की वर्ष 2008 में प्रस्तुत रिपोर्ट, ने इस क्षेत्र में संपोषित 12-14 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने के लिए सुसंरचनाबद्ध विनिर्माण क्षेत्र नीति स्थापित करने के लिए सिफारिश की थी। सरकार ने (i) मध्यम अवधि में 12-14 प्रतिशत तक विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि बढ़ाने; (ii) 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 25 प्रतिशत का योगदान देने के लिए विनिर्माण को सक्षम बनाने; (iii) 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र द्वारा 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने; (iv) विनिर्माण में आसान आमेलन हेतु ग्रामीण प्रवासी तथा शहरी गरीबों के बीच उपयुक्त कौशल सैटों का सृजन करने; (v) विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन तथा प्रौद्योगिकी संबंधी गहनता बढ़ाने और (vi) भारतीय विनिर्माण में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्यों के साथ मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए 4 नवम्बर, 2011 को सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जारी की थी।

9.36 राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को हितधारकों तथा उद्योग, राज्य सरकारों और विनिर्माण प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसाय पर्यावरण के क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचारविमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया था। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में व्यवसाय संबंधी विनियमों के आशय को कम किए बिना, उनके सरलीकरण की परिकल्पना की गई है। देश की अर्थव्यवस्था में लघु और मध्यम उद्यमों के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, नीति में सामान्यत: विनिर्माण उद्योगों के लिए अन्य हस्तक्षेपों के अलावा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समर्पित हस्तक्षेप समाहित हैं। ये हस्तक्षेप मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी उन्नयन, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा इक्विटी निर्देशों से संबंधित हैं। निजी क्षेत्र के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों तथा सरकारी योजनाओं के जरिए युवा लोगों को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास को नीति में उच्च प्राथमिकता दी गयी है। उस भूमि के लिए, जो बेकार है और कृषि योग्य नहीं है, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र विश्वस्तरीय भौतिक और सामाजिक अवसंरचना सहित समेकित औद्योगिक टाउनशिप के रूप में परिकल्पित किए गए हैं (बॉक्स 9.3)। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, जो देश में विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रथम समर्पित नीतिगत उपाय है, से आशा है कि वह वर्धित पूंजी निर्माण, वैश्विक स्तर की औद्योगिक अवसंरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवीन तथा व्यावसायिक कौशल विकास अवसंरचना के सृजन तथा उद्योग, कामगार तथा पर्यावरण अनुकूल विनियमों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण परिदृश्य को बदल देगी।

9.37 राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, विनिर्माण नीति समीक्षा कार्यप्रणाली संस्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय विनिर्माण उद्योग संवर्धन बोर्ड (एमआईपीबी) गठित करने के लिए भी व्यवस्था करती है।

इलैक्ट्रॉनिक संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2011 (एनपीई 2011) का मसौदा

9.38 दिनांक 3 अक्तूबर, 2011 को जारी एनपीई के मसौदे में देश में इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र के विकास की कार्ययोजना है। नीति के मसौदे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ देश की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नैनो -इलैक्ट्रॉनिक्स सहित वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक इलैक्ट्रानिक्स प्रणाली डिजाइन तथा निर्माण (ईएसडीएम) उद्योग के सृजन की परिकल्पना की गयी है। एनपीई 2011 के मसौदे के प्रमुख बिन्दुओं में निम्नलिखित शामिल हैं।

- **उत्पादन, निवेश तथा रोजगार में कई गुणा वृद्धि:** सन 2020 तक लगभग 400 मिलियन अमरीकी डालर का कारोबार हासिल करने, जिसमें लगभग 100 बिलियन अमरीकी डालर

बॉक्स 9.3 : राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र

- राष्ट्रीय विनिर्माण नीति प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में जाने वाले व्यक्तियों के लिए उत्पादनकारी पर्यावरण प्रदान करने हेतु आधुनिक अवसंरचना और क्षेत्रों के आधार पर भूमि के उपयोग सहित समेकित औद्योगिक टाउनशिप के रूप में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र के विकास, स्वच्छ और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी आवश्यक सामाजिक अवसंरचना और कौशल विकास सुविधाओं के लिए उपबंध प्रदान करती है। प्रस्तावित राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
- राज्य सरकार 5,000 हेक्टेयर के क्षेत्र वाली उपयुक्त भूमि के चयन के लिए जिम्मेदार होगी।
- राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित कुल क्षेत्र का कम से कम 30 प्रतिशत विनिर्माण इकाईयों के स्थान के लिए उपयोग किया जाएगा।
- राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र के कार्यों को निपटाने के लिए विशेष प्रयोजन साधन गठित किया जाएगा।
- राज्य सरकार जल, विद्युत, कनैक्टिविटी तथा अवसंरचना और जनोपयोगी सेवा संपर्कों के प्रावधान को सुविधाजनक बनाएगी।
- केन्द्र सरकार वृहत योजना की लागत को वहन करेगी और समयबद्ध रूप से राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र को बाह्य भौतिक अवसंरचना संपर्क उपलब्ध कराएगी उसमें सुधार करेगी जिसमें रेल, सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग) हवाई अड्डे और दूरसंचार शामिल हैं।
- केन्द्र सरकार अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी जो परियोजना लागतों के 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।
- बहुपक्षीय वित्तीय संसाधनों से सरल शर्तों वाले ऋणों की उपलब्धता का पता लगाया जाएगा तथा एनआईएमजेड की आंतरिक अवसंरचना के विकास के लिए उन्हें विकसित करने वालों को विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जुटाने की अनुमति दी जाएगी।

का निवेश होगा तथा ईएसडीएम क्षेत्र में लगभग 28 मिलियन रोजगार अवसर प्राप्त होंगे, के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट पहलें करने का प्रस्ताव है:

- सेमीकण्डक्टर चिप्स के निर्माण हेतु सेमीकण्डक्टर वेफर फैब्स की स्थापना।
  - निर्माण क्षेत्र में अक्षमताओं को दूर करने हेतु एक आशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना।
  - विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ लगभग 200 समूहों के लिए एक इलैक्ट्रॉनिक्स निर्माण समूह योजना।
  - सामरिक तथा सुरक्षा मुद्दों एवं सतत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए घरेलू निर्मित इलैक्ट्रॉनिक्स सामान को बाजार की पहुंच हेतु तरजीह देना।
  - 10 वर्षों तक स्थिर कर नीति बनाना।
- **सेमीकण्डक्टर चिप डिजाइन उद्योग:** सन 2020 तक वैश्विक शीर्षस्थता तथा 55 बिलियन अमरीकी डालर का कारोबार हासिल करना, उदीयमान चिप डिजाइन तथा सन्निहित सॉफ्टवेयर उद्योग का निर्माण।
- **निर्यात में कई गुणा वृद्धि:** सन 2020 तक निर्यात को 5.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 80 बिलियन अमरीकी डालर करना।
- **मानव संसाधन विकास:** निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी तथा उच्चतर शिक्षा पर बल देते हुए उभरती हुई तकनीक सहित कौशल कामगारों की संख्या तथा आयाम में उपलब्धता की व्यापक बढ़ोतरी करना। इसमें 2020 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 2500 पीएचडी का सृजन शामिल है।
- **मानक:** इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए मानकों को विकसित करना तथा उन्हें अधिदेशित करना।
- **सुरक्षित इको-प्रणाली:** इलैक्ट्रॉनिक्स के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु पूर्णतया सुरक्षित साइबर इको प्रणाली का सृजन करना।
- **महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु साधनों की उपलब्धता:** ईएसडीएम उद्योग तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रक्षा, अंतरिक्ष तथा आणविक ऊर्जा के बीच परस्पर दीर्घावधि भागीदारी सृजित करना।
- **अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) तथा नवीकरण:** ईएसडीएम तथा नैनो इलैक्ट्रानिक्स क्षेत्र में प्रारम्भ में अनुसंधान तथा विकास एवं आधारभूत पूंजी व उद्यम पूजी में प्रवाह को बढ़ाते हुए बौद्धिक संपदा के सृजन में वैश्विक प्रमुख बनना।
- **ईएसडीएम का उपयोग करते हुए ऑटोमोटिव इलैक्ट्रानिक्स:** इवाई जहाज इलैक्ट्रॉनिक्स, एलईडी, औद्योगिक इलैक्ट्रानिक्स, चिकित्सा इलैक्ट्रॉनिक्स, सोलर फोटोवोल्टिक तथा सूचना व प्रसारण जैसे चुनिन्दा क्षेत्रों में पूर्ण सक्षमता विकसित करना।
- **राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक मिशन (एनईएम):** उद्योग के सहयोग से इलैक्ट्रानिक्स में अनुमोदित नीति का नीति निर्धारण, कार्यान्वयन और 'ब्राण्ड इण्डिया' के संवर्धन के लिए संस्थागत प्रणाली के रूप में एक एनईएम की स्थापना की जाएगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र

9.39 एमएसएमई एक गतिशील तथा परिवर्तनशील क्षेत्र है जो देश भर में लाखों लोगों को रोजगार देने सहित सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। एमएसएमई क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए सरकार द्वारा 2011-12 के दौरान की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:-

(i) सरकार ने एमएसई द्वारा उत्पादित सामान एवं प्रदत्त सेवाओं के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) हेतु सार्वजनिक अधिग्रहण नीति हाल ही में अनुमोदित की है। नीति में यह निहित है कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/पीएसयू तीन वर्षों की अवधि के दौरान अपने कुल उत्पादों की खरीद का कम से कम 20 प्रतिशत एमएसई से उत्पादों की खरीद एवं प्रदत्त सेवाओं के रूप में लेने का उद्देश्य हासिल करने हेतु वर्ष के प्रारम्भ में अपना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4 प्रतिशत अधिग्रहण करने का उप-लक्ष्य भी चिन्हित किया जाना है।

(ii) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ने देशभर में व्यापार टर्मिनल वाले एक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा एसएमई हेतु एक स्टॉक एक्सचेंज/व्यापार पटल की अनुमति दी है तथा मार्गनिर्देश व सेबी विनियमों में आवश्यक संशोधन भी जारी किए हैं। मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को एसएमई पटल शुरू करने के लिए अंतिम अनुमोदन क्रमश: 27 सितम्बर, 2011 तथा 14 अक्तूबर, 2011 को दिया गया है। एसएमई एक्सचेंजों/पटलों के प्रारम्भ होने से भारतीय एसएमई को पूंजी बाजारों से निधियां जुटाने का अवसर प्राप्त होगा।

(iii) प्रधान मंत्री की कौशल विकास संबंधी राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित समग्र लक्ष्य के अनुरूप, एमएसएमई मंत्रालय तथा उसके अधीन एजेंसियां 2011-12 के दौरान 4.78 लाख व्यक्तियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम चलाएंगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय देश में अपने स्वरोजगार अवसरों के साथ-साथ वेतन रोजगार अवसरों के विकास हेतु अपने कार्यक्रमों से वर्ष 2012-13 के दौरान 5.72 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना चाहता है।

(iv) देश में एमएसई तथा उनके समूहों के क्षमता निर्माण तथा उनकी उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रमुख रणनीति के रूप में समूह दृष्टिकोण अपनाया गया है। वर्ष 2011-12 (31 जनवरी, 2012 तक) के दौरान 8 नए समूहों को निदानी अध्ययन, 5 को कोमल हस्तक्षेपों तथा 4 को सांझे सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना हेतु चयनित किया गया था। इसके साथ, नैदानिक अध्ययन, कोमल हस्तक्षेपों तथा कड़े हस्तक्षेपों हेतु अब तक कुल 477 समूहों को लिया गया है। इन समूहों के अतिरिक्त 134 अवसंरचना विकास परियोजनाएं भी ली गयी हैं।

केन्द्रीय सार्वजनिक-क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)

9.40 सीपीएसई हेतु नीतिगत विकास मुख्यतया उनके वित्तीय तथा प्रचालन शक्तियों के प्रत्यायोजन में वृद्धि तथा उनके पुनरूद्धार से संबंधित है। सीपीएसई को बढ़ी हुई वित्तीय तथा प्रचालन शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के उद्देश्य से सरकार ने जुलाई, 1997 में नवरत्न योजना प्रारम्भ की थी। सरकार ने दिसम्बर, 2010 में सीपीएसई को वित्तीय प्रत्यायोजन की बढ़ोतरी हेतु महारत्न योजना शुरू की। कोल इण्डिया लिमिटेड तथा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को 2011 में क्रमश: महारत्न तथा नवरत्न खिताब प्रदान किया गया था तथा इन श्रेणियों के अंतर्गत सीपीएसई की संख्या को क्रमश: 5 तथा 16 तक बढ़ा दिया गया था। बीमार तथा घाटे में चल रहे सीपीएसई के पुनरूद्धार/पुनर्संरचना पर परामर्श देने हेतु सरकार ने दिसम्बर, 2004 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना की। 31 अक्तूबर, 2011 तक बीआरपीएसई ने 62 सीपीएसई के सम्बंध में सिफारिशें दी हैं। इसके बाद सरकार ने 43 सीपीएसई के पुनरूद्धार तथा दो को बंद करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी। 31 अक्तूबर, 2011 तक सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित कुल सहायता 25,104 करोड़ रुपए है (नकद सहायता के रूप में 3873.86 करोड़ रुपए तथा गैर-नकद सहायता के रूप में 21,230.67 करोड़ रुपए)। सरकार द्वारा पुनरूद्धार हेतु अनुमोदित 43 सीपीएसई में से 13 उबरे हुए सीपीएसई ने तीन अथवा उससे अधिक वर्षों से लगातार कर पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया है।

क्षेत्रवार औद्योगिक वृद्धि

वस्त्र-क्षेत्र का उत्पादन

9.41 चालू वित्त वर्ष के दौरान वस्त्र क्षेत्र अब तक गिरावट दर्शाता रहा है। अप्रैल-दिसम्बर, 2011 के दौरान कुल कपड़ा उत्पादन में 4.74 प्रतिशत की गिरावट हुई है। उत्पादन में गिरावट के दो मुख्य अंशों नामत: बिजली चालित करघा (-2.54 प्रतिशत) तथा हौजरी (-14.89 प्रतिशत) के कारण रही। इस अवधि के दौरान मिल तथा हथकरघा क्षेत्रों द्वारा कपड़ा उत्पादन क्रमश: 1 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत तक बढ़ा है (सारणी 9.14)। अप्रैल-दिसम्बर, 2011 के दौरान मानव-निर्मित फाइबर उत्पादन तथा फिलामेन्ट यार्न उत्पादन में क्रमश: लगभग 2 प्रतिशत तथा 7 प्रतिशत घटोत्तरी रिकार्ड की

सारणी 9.14 : कपड़े का उत्पादन (मिलियन वर्गमीटर में)

क्षेत्र	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011(अ)	अप्रैल-दिसम्बर	
					2010-2011(अ)	2011-2012(अ)
मिल क्षेत्र	1781 (2.00)	1796 (0.84)	2016 (12.25)	2205 (9.38)	1643	1656 (0.79)
हथकरघा	6947 (6.30)	6677 (-3.90)	6806 (1.93)	6949 (2.10)	5100	5178 (1.53)
बिजली करघा	34725 (5.60)	33648 (-3.10)	36997 (9.95)	37929 (2.52)	28566	27841 (-2.54)
होजरी	11804 (2.60)	12077 (2.30)	13702 (13.46)	14647 (6.90)	11055	9464 (-14.39)
अन्य	768 (6.10)	768 (0.00)	812 (5.73)	812 (0.00)	599	599 (0.00)
कुल कपड़ा उत्पादन	56025 (4.94)	54966 (-1.89)	60333 (9.76)	62542 (3.66)	46963	44738 (-4.74)

स्रोत : कपड़ा आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई
टिप्पणी : अ. अनन्तिम कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत परिवर्तन दर्शाते हैं।

गयी। इस अवधि के दौरान कॉटन यार्न का उत्पादन 13 प्रतिशत घट गया। तथापि, बलेंडिड तथा 100 प्रतिशत नॉन-काटन यार्न उत्पादन में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

निर्यात

9.42 वर्ष 2010-11 के दौरान 26.82 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के वस्त्रों तथा कपड़ों का निर्यात किया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान यह 22.41 बिलियन अमरीकी डालर था, इस प्रकार इसमें लगभग 19.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। अप्रैल-नवंबर, 2011 के दौरान वस्त्रों तथा कपड़ों का निर्यात 19.78 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें 2010 में उसी अवधि के दौरान 15.86 बिलियन अमरीकी डालर के आंकड़े के मुकाबले 24.73 प्रतिशत की व्यापक वृद्धि दर्ज हुई। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)(2010 में जारी) के अनुसार कपड़ों के वैश्विक निर्यात के संबंध में तुर्की, बंग्लादेश, हांगकांग, ईयू-27 तथा चीन से पीछे रहते हुए भारत छठा सबसे बड़ा निर्यातक रहा। वस्त्रों के वैश्विक निर्यात के संबंध में ईयू-27 तथा चीन से पीछे रहते हुए भारत तीसरे स्थान पर था।

9.43 वस्त्र क्षेत्र में मंदी के रुझान को देखते हुए वैश्विक वस्त्र बाजार में इस क्षेत्र को बाजार अंश में बढ़ावा हासिल करने में सक्षम बनाने हेतु सरकार विभिन्न नीतिगत पहलों द्वारा सहायता करती रही है। विभिन्न देशों में भारत के बाजार अंश में वृद्धि करने हेतु सरकार ने केन्द्रीय बजट 2011-12 में तथा विदेश व्यापार नीति 2009-14 के अंतर्गत फोकस बाजार योजना तथा फोकस उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन; वस्त्र उत्पादन हेतु बाजार लिंक फोकस उत्पाद योजना की कवरेज में बढ़ोतरी तथा बाजार लिंक फोकस उत्पाद योजना के विस्तार सहित कई निर्यात संवर्धन उपाय शुरू किए हैं।

रसायन, पेट्रो रसायन और उर्वरक

रसायन

9.44 प्रमुख रसायन डाउनस्ट्रीम रसायनों में रूपांतरित होने के लिए प्रसंस्करण के अनेक चरणों से गुजरते हैं। ये प्रसंस्करित रसायन कृषि और उद्योगों में सहायक सामग्री जैसे एडहीसिव, अप्रसंस्करित प्लास्टिक, रंग और उर्वरकों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। रसायनों को उपभोक्ताओं द्वारा भेषजों, प्रसाधनों, घरेलू उत्पादों, पेंट इत्यादि के तौर पर भी सीधे प्रयोग में लाया जाता है। रसायन उद्योग के प्रमुख घटक क्षारीय रसायन, अकार्बनिक रसायन तथा कार्बनिक रसायन हैं। अप्रैल-नवम्बर, 2011 के दौरान जीवनाशकों तथा कीटनाशकों व रंगों और रंग सामग्री के अतिरिक्त अन्य प्रमुख रसायनों का उत्पादन अपेक्षाकृत उच्चतर रहा है। क्षेत्र हेतु कुल उत्पादन 1.77 प्रतिशत अधिक रहा है (सारणी 9.15)।

पेट्रो-रसायन

9.45 पेट्रो-रसायनों में कृत्रिम रेशे, पॉलिमर, इलास्टोमर, कृत्रिम डिटर्जेंट और परफार्मेंस प्लास्टिक के साथ-साथ उनकी मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे कृत्रिम रेशा मध्यवर्ती वस्तुएं, कृत्रिम डिटर्जेंट मध्यवर्ती वस्तुएं, ऑलफिन और एरोमैटिक शामिल हैं। पेट्रो-रसायनों के लिए फीडस्टाक और ईंधन के मुख्य स्रोत प्राकृतिक गैस और नाफ्था हैं। पेट्रो-रसायन उत्पादो में रोजमर्रा इस्तेमाल की समस्त वस्तुएं जैसे वस्त्र, आवास, निर्माण, फरनीचर, ऑटोमोबाइल, घरेलू मदें, खिलौने, कृषि, बागवानी, सिंचाई और पैकेजिंग से लेकर चिकित्सीय उपकरण शामिल हैं। 2008-09 से प्रमुख पेट्रो-रसायनों का बुनियादी रूप में उत्पादन और वृद्धि दरें सारणी

सारणी 9.15 : प्रमुख पेट्रो-रसायनों का उत्पादन

(000' मी॰ टन)

वर्ष	क्षार रसायन	अकार्बनिक रसायन	कार्बनिक रसायन	जीवनाशी व कीटनाशी	रंग एवं रंग सामग्री	कुल मुख्य रसायन
2008-09	5427	513	1,254	85	32	7311
2009-10	5602	518	1,281	82	42	7525
2010-11	5981	572	1,342	85	47	8027
2010-11(अप्रैल-नवम्बर)	3876	365	867	56	32	5196
2011-12 (अप्रैल-नवम्बर)	3944	374	892	49	28	5288

स्रोत : रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
टिप्पणी: मीट्रिक टन

सारणी 9.16 : प्रमुख पेट्रो रसायनों का उत्पादन

(000' मी. टन)

वर्ष	सिंथेटिक फाइबर	पालीमर्स	इलास्टोमर्स	सिंथेटिक डिटर्जेंट मध्यवर्ती वस्तुएं	परफोर्मेंस प्लास्टिक	कुल प्रमुख पेट्रो रसायन
2008-9	2343	5060	96	552	141	8193
2009-10	2601	4791	106	618	172	8287
2010-11	2791	5292	95	638	191	9007
2010-11 (अप्रैल-नवम्बर)	1824	3450	65	422	124	5915
2011-12 (अप्रैल-नवम्बर)	1780	3724	58	414	114	6090

स्रोत : रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

9.16 में दिखाई गई हैं। अप्रैल-नवम्बर, 2011-12 के दौरान प्रमुख पेट्रो-रसायनों में 2.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष में कृत्रिम रेशे, जो कि पेट्रो-रसायन क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है, में गिरावट हुई है।

उर्वरक

9.46 भारत अपनी यूरिया की आवश्यकता का 80 प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा कर रहा है लेकिन फास्फोरस और पोटाशियम उर्वरक (पी व के) की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह मूल रूप से तैयार उर्वरक या कच्ची सामग्री के रूप में आयात पर निर्भर है। पोटाश की समग्र आवश्यकता, फास्फेटिक उर्वरक की लगभग 90 प्रतिशत और यूरिया की लगभग 20 प्रतिशत आवश्यकता आयातों द्वारा पूरी की जाती है। यूरिया के अतिरिक्त, फास्फोरस एवं पोटाशियम उर्वरकों की 25 श्रेणियां नामश: डायअमोनियम फास्फेट (डीएपी), म्यूरियेट ऑफ पोटाश (एमओपी), मोनो-अमोनियम फास्फेट (एमएपी), ट्रिपल सुपर फास्फेट (टीएसपी), अमोनियम सल्फेट (एएस), सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) और एनपीकेएस सम्मिश्र उर्वरकों की 18 श्रेणियां पोषण आधारित सब्सिडी योजना (एनबीएस) के अंतर्गत किसानों को सब्सिडीयुक्त दरों पर मुहैया कराई जाती हैं। किसान पी व के उर्वरकों की वास्तविक लागत का केवल 50 प्रतिशत ही अदा करते हैं और शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाती है। सरकार ने एनबीएस नीति के अंतर्गत एनपीकेएस कॉम्प्लैक्स उर्वरकों की सात नई श्रेणियों को भी शामिल किया है। वर्तमान में एनबीएस नीति के तहत पी व के उर्वरकों की 25 श्रेणियां हैं।

9.47 वर्ष 2010-11 में यूरिया का घरेलू उत्पादन 218.80 लाख मी॰ टन था जबकि 2009-10 में 211.12 लाख मी॰ टन उत्पादन हुआ था। 2010-11 में डीएपी के उत्पादन में तेज़ी से घटोतरी हुई और यह 2009-10 के 42.46 मी॰ टन के मुकाबले 35.37 लाख मी॰ टन था। 2011-12 में यूरिया का 222.88 लाख मी॰ टन उत्पादन होने का अनुमान है तथा डीएपी एवं उसके सम्मिश्रों का उत्पादन अनुमानत: क्रमश: 39.41 लाख मी॰ टन एवं 90.69 लाख मी॰ टन होगा। कच्चे माल/मध्यवर्ती माल की उपलब्धता उत्पादन वृद्धि में एक बहुत बड़ी अड़चन रही है। अपेक्षित मात्रा में उर्वरकों

सारणी 9.17 : उर्वरकों का उत्पादन व आयात

(लाख मी.टन)

वर्ष	उत्पादन			आयात		
	2009-2010	2010-2011	2011-2012*	2009-2010	2010-2011	2011-2012*
यूरिया	211.12	218.80	222.88	52.09	66.09	56.43
डीएपी	42.46	35.37	39.41	58.89	74.09	53.00
मिश्रित उर्वरक	80.38	87.27	90.69	-	-	-
एमओपी	शून्य	शून्य	शून्य	52.86	63.57	24.91

स्रोत : रसायन और पैट्रोलियम विभाग
टिप्पणी : * अनुमानित

की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उर्वरक विभाग ने यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के समय से आयात करने की व्यवस्था की है। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान यूरिया, डीएपी तथा सम्मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन का विवरण सारणी 9.17 में दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण

9.48 खाद्य उत्पाद तथा खाद्य प्रसंस्करण निर्माण के सबसे विषम क्षेत्रों में से एक है जिसमें पशु डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद तथा अनाज, मांस उत्पाद तथा प्रसंस्कृत भोजन, चीनी, खाद्य तेल तथा मादक पेय आते हैं। तथापि, वर्तमान वर्ष में निर्माण में यह सबसे तेज बढ़ने वाले भागों में से एक रहा है जिसने औसत औद्योगिक वृद्धि में 27 प्रतिशत का योगदान दिया जो कि आईआईपी में उसके भारांश से तीन गुना से अधिक है। इस समूह में कुछ महत्वपूर्ण उत्पादों की वृद्धि दरें सारणी 9.18 में दर्शायी गयी हैं।

9.49 एक गतिशील कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों के रूप में उन्नत संपर्क की स्थापना की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी लिंकेज उत्पादकों के आय स्तरों में सुधार करती हैं तथा उत्पादों के व्यर्थ होने, जो कि मूल्य संवर्धन की राष्ट्रीय हानि है, को कम करती हैं। वर्ष 2010 में फसल कटाई के उपरान्त अभियांत्रिकी तकनीक हेतु केन्द्रीय संस्थान (सीआईपीएचईटी) के अध्ययन से फसल कटने के उपरान्त प्रतिवर्ष कृषि उत्पादों में होने वाली हानियां लगभग 44,000 करोड़ रुपए आकलित हुई हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नुकसान को कम करने तथा खाद्य श्रृंखला में मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियां बनाता है तथा लक्षित योजनाएं कार्यान्वित करता है। मंत्रालय ने इस क्षेत्र

सारणी 9.18 : प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की वृद्धि की दर

(प्रतिशत)

	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012 (अप्रैल-दिसम्बर)
चीनी	30.8	15.2	-33.9	-6.0	30.2	38.3
फलों का गूदा	-22.4	87.0	-2.0	5.0	35.1	30.4
फलों का रस	26.6	20.9	41.0	46.6	16.8	26.0
काजू गिरी	64.8	8.4	-4.2	-0.9	-7.9	22.2
इस्टेंट फूड मिक्स	24.3	30.8	19.4	20.8	10.6	17.9
मिनरल वॉटर	21.0	29.4	6.9	28.3	19.9	15.4
चॉक्लेट	28.4	8.9	24.2	11.3	13.7	13.3
माल्टेड भोजन	6.1	8.5	-36.8	-8.8	8.4	6.4
मक्खन	-6.2	4.8	3.4	-22.7	-4.7	0.1
बिस्किट	14.1	-0.9	29.2	10.4	-1.4	-1.6
फ्रोजन मीट	-39.6	-12.9	76.8	27.4	-21.8	-1.7

स्रोत: सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

बॉक्स 9.4 : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं

I. अवसरंचना विकास

मेगा फूड पार्क (एमएफपी)

- पहले चरण में दस एमएफपी अनुमोदित किए गए थे।
- दूसरे चरण में पांच एमएफपी अनुमोदित किए गए थे।
- अतिरिक्त 15 एमएफपी हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
- इनमें से प्रत्येक एमएफपी समूह 30-40 खाद्य उत्पादक यूनिटों के होने की संभावना है।

शीत शृंखला, मूल्य संवर्धन तथा परिरक्षण अवसंरचना।

- पहले चरण में 2008-09 के दौरान अनुमोदित 10 परियोजनाओं में से आठ ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।
- दूसरे चरण में 2011-12 में उनतालिस परियोजनाएं अनुमोदित हो गयी हैं।
- नुकसान विशेष रूप से खराब होने वाले खाद्य उत्पादों को कम करने की सम्भावना।

आधुनिकीकरण तथा बूचड़खानों की स्थापना करना

- 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार 35.74 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता से दस परियोजनाओं को सहायता दी गयी।
- 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार दो परियोजनाएं पूरी हुईं।
- स्वच्छता तथा पशुओं का और मानवीय ढंग से वध करने पर ध्यान केन्द्रित करता है।

II. तकनीक उन्नयन, एफपीआई की स्थापना/आधुनिकीकरण

- वर्ष 2011-12 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 135.87 करोड़ रुपए के अनुदान से 852 यूनिटों की सहायता की गयी है।

III. वर्ष 2011-12 में गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, आर एंड डी तथा संवर्धनात्मक गतिविधियां

- खाद्य-जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु पांच परियोजनाएं अनुमोदित।
- यूनिटों को एचएसीसीपी/आईएसओ प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कार्यान्वित करने के लिए दो परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित।
- आर एण्ड डी हेतु आठ प्रस्ताव अनुमोदित

IV. वर्ष 2011-12 के दौरान मानव संसाधन विकास

- अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु एक प्रस्ताव
- खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों (एफपीटीसी) की स्थापना हेतु पच्चीस प्रस्ताव
- एक सौ बत्तीस उद्यम विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं।

V. संस्थानों का उत्कृष्टता के केन्द्रों के रूप में सुदृढ़ीकरण

निम्नलिखित संस्थान सुदृढ़ किए गए हैं।

- भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावूर
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा उद्यमिता प्रबंधन संस्थान, कुण्डली, हरियाणा
- भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड
- राष्ट्रीय मांस तथा कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड

में निवेश को उत्प्रेरकता प्रदान करते हुए रोजगार के अवसरों का सृजन करने में मदद की है तथा ग्रामीण क्षेत्र में मानव पूंजी का उन्नयन किया है। उपभोक्ता भी वाजिब दामों पर खाद्य उत्पादों के व्यापक एवं स्वस्थ विकल्प मिलने से लाभान्वित हुए हैं।

इस्पात

9.50 जनवरी-नवम्बर, 2011 के दौरान भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन, जापान तथा अमेरिका के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। विश्व इस्पात एसोसिएशन के अनुमानों के मुताबिक 2010 में तैयार इस्पात की खपत में तीव्र वृद्धि (15 प्रतिशत) के बाद, इसके 2011 में 6.5 प्रतिशत तथा 2012 में 5.4 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है। 2002 से देश विश्व में, स्पंज लोहे का सबसे बड़ा निर्माता रहा है। 2006-07 से 2010-11 के दौरान घरेलू कच्चे इस्पात का उत्पादन 8.4 प्रतिशत की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि की दर (सीएजीआर) से बढ़ा है (सारणी 9.19)। मुख्यतया निजी क्षेत्र के संयंत्रों में कच्चा इस्पात क्षमता की 8.8 प्रतिशत वृद्धि तथा इस अवधि के दौरान उच्च उपयोग दरें उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण रहे हैं।

9.51 भारतीय इस्पात उद्योग ने अपने उत्पादों में विविधता लाते हुए उसमें परिष्कृत मूल्य संवर्धित इस्पात शामिल किया जो आटोमोटिव क्षेत्र, भारी मशीनरी तथा वास्तविक अवसंरचना में इस्तेमाल होता है। अप्रैल-दिसम्बर, 2011के दौरान औद्योगिक मांग कम होने, जो कुल तैयार इस्पात की वास्तविक खपत में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता

सारणी 9.19 : कुल निर्मित इस्पात और पिग आयरन का उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात

(मिलियन टन)

	मद	2006-2007-	2007-2008-	2008-2009-	2009-2010-	2010-2011	तुलना में 2009 2010*
बिक्री के लिए उत्पादन	टी एफ एस	52.53	56.07	57.16	60.62	66.01	8.98
	पिग आयरन	4.93	5.28	6.21	5.88	5.54	- 5.78
आयात	टी एफ एस	4.93	7.03	5.84	7.38	6.79	-7.99
	पिग आयरन	0.03	0.11	0.08	0.11	0.09	-18.00
निर्यात	टी एफ एस	5.24	5.08	4.44	3.25	3.46	6.45
	पिग आयरन	0.71	0.56	0.35	0.36	0.36	0
वास्तविक खपत**	टी एफ एस	46.78	52.12	52.35	59.34	65.61	10.6
	पिग आयरन	4.33	4.62	5.87	5.53	5.15	-6.87

स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी) इस्पात मंत्रालय
टिप्पणीयां : टी एफ एसः कुल निर्मित स्टील, (मिश्र धातु और कार्बन दोनों) पीआईः पिग आयरन
*** अनंतिम ** स्टॉक में परिवर्तन होना और दुबारा गिन लिए जाने की स्थिति में समायोजन**

है, के बावजूद, भारतीय इस्पात उद्योग की अप्रैल-दिसम्बर, 2011 की कुल स्थिति आशाजनक रही है। 2011 में उसने घरेलू क्षेत्र में बढ़ते मुद्रास्फीति दबावों और वैश्विक स्तर पर लड़खड़ाती हुई वृद्धि से होने वाली कठिन चुनौतियों का सामना किया है। केन्द्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में अनेक बार वृद्धि ने भी उद्योग के विकास को प्रत्यक्ष रूप में तथा मुख्य उपयोगकर्ता उद्योगों की वृद्धि पर प्रभाव को परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना में, कच्चे माल की जमानत (उदाहरणार्थ लौह-अयस्क खनन पट्टा), अवसंरचना (सम्भार तंत्र तथा परिवहन को प्रभावित करने वाले), कोकिंग कोयले की गुणवत्ता तथा जमीन अधिग्रहण में अनिश्चितताएं, अवरोधक सिद्ध हुए हैं।

भारी उद्योग

9.52 भारी उद्योग विभाग आटोमोटिव क्षेत्र तथा भारी विद्युत अभियांत्रिकी, भारी अभियांत्रिकी उपस्कर और मशीन औजार उद्योग के कार्यनिष्पादन को मानीटर करता है। भारतीय आटोमोबाइल निमार्ताओं की सोसायटी के मुताबिक अप्रैल-नवम्बर, 2011 के दौरान यात्री वाहनों का वास्तविक उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.9 प्रतिशत ज्यादा था। इसी प्रकार वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन भी 25.9 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल-नवम्बर, 2011 के दौरान समग्र आटोमोटिव क्षेत्र का उत्पादन 15.5 प्रतिशत बढ़ गया है जबकि यात्री वाहनों की बिक्री 0.5 प्रतिशत कम हुई है, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 20.0 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि हुई है। अप्रैल-नवम्बर, 2011 के दौरान यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों तथा अन्य का निर्यात क्रमशः 21 प्रतिशत, 26 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत रहा।

9.53 भारी विद्युत अभियांत्रिकी उद्योग एक महत्वपूर्ण निर्माण क्षेत्र है जो बिजली क्षेत्र तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस क्षेत्र द्वारा बायलर, टर्बो जेनरेटर, टरबाइन, ट्रांसफोर्मर, कण्डेन्सर, स्विच गीयर व रिले जैसे बड़े उपकरण तथा संबंधित अतिरिक्त वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस क्षेत्र का निष्पादन देश में बिजली उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि से परस्पर जुड़ा हुआ है। भारी विद्युत उपकरण निर्माताओं ने तापीय सैटों के लिए 600 मेगावाट यूनिट क्षमता तक की महत्त्वपूर्ण तकनीक हासिल कर ली है तथा 660/800 मेगावाट यूनिट आकार के लिए अति महत्वपूर्ण तकनीक अपनाने की तैयारी कर रहे हैं।

इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर

9.54 भारतीय इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उत्पादन ने 2010-11 में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2009-10 के 1,10,720 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,21,760 करोड़ रुपए (अनुमानित) का उत्पादन किया। वर्ष 2010-11 के दौरान इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर निर्यात ने पिछले वर्ष के मुकाबले रुपए के रुप में 56 प्रतिशत (अमरीकी डालर में 62.42 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की। 2010-11 के दौरान इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर का निर्यात 2009-10 के अनुमानतः 25,900 करोड़ रुपए (5.5 बिलियन अमरीकी डालर) से बढ़कर 40,400 करोड़ रुपए (8.9 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया है। 2011-12 के दौरान 33 बिलियन अमरीकी डालर कीमत के इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर उत्पादन होने की सम्भावना है। ऐसा अनुमान है कि इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर निर्यात 12.8 प्रतिशत की सम्भावित

सारणी 9.20 : 2010-11 के दौरान सीपीएसई का प्रदर्शन

(₹ करोड़)

क्रम स.	विवरण	2010-11	2009-10	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1.	निवेश (दीर्घावधिक ऋण+इक्विट)	666848	580784	14.82
2.	नियोजित पूंजी (निवल अचल आस्ति+कार्यशील पूंजी)	950449	909285	4.53
3.	कुल टर्नओवर	1473319	1244805	18.36
4.	लाभ कमाने वाल सीपीएसई का लाभ	113770	108434	4.92
5.	घाटे पर चलने वाले सीपीएसई का घाटा	21693	16231	33.65
6.	निवल संपत्ति	723128	659437	9.66
7.	घोषित लाभांश	35681	33223	7.40
8.	कारपोरेट टैक्स	43369	38133	13.73
9.	प्रदत्त ब्याज	38998	36060	8.15
10.	केन्द्रीय राजकोष में अंशदान	156124	139918	11.58
11.	विदेशी मुद्रा अर्जन	97004	84224	15.17
12.	विदेशी मुद्रा व्ययन	522577	424207	23.19

स्रोत : सरकारी उद्यम विभाग

वृद्धि से 2010-11 के 8.86 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2011-12 में 10 बिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा पार कर लेगा।

सीपीएसई

9.55 दिनांक 31 मार्च, 2011 को कुल मिलाकर, 248 सीपीएसई विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन थे। इनमें से 220 प्रचालनरत थे तथा 28 निर्माणाधीन थे। 31 मार्च, 2011 को सभी सीपीएसई का संचयी निवेश (प्रदत्त पूंजी जमा दीर्घावधि ऋण) का अंश 6,66,848 करोड़ रुपए था जो 2009-10 से 14.8 प्रतिशत अधिक की वृद्धि दर्शा रहा है। समग्र ब्लाक में विनिर्माण का हिस्सा 2010-11 में 27.8 प्रतिशत था। कुल निवेश में समग्र ब्लाक के संदर्भ में खनन, बिजली तथा सेवाओं का भाग क्रमशः 23.0 प्रतिशत, 25.2 प्रतिशत तथा 23.2 प्रतिशत था। 2010-11 में लाभ में चल रहे सीपीएसई (158) का विशुद्ध लाभ 1,13,770 करोड़ रुपए था। दूसरी ओर, उसी अवधि के दौरान घाटे में चल रहे उद्यमों (62) की निवल हानि 21,693 करोड़ रुपए थी (सारणी 9.20)। वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) द्वारा अत्यधिक 'कम वित्तीय वसूलियां' सामने आई क्योंकि कच्चे तेल के लागत मूल्यों के अधिक होने के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम रखनी थीं। 2010-11 के दौरान सीपीएसई की विदेशी मुद्रा आय 97,004 करोड़ रुपए थी जो कि 5,22,577 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के कुल व्यय से कम थी।

चुनौतियां तथा दृष्टिकोण

9.56 वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि 4 और 5 प्रतिशत के बीच रहने की सम्भावना है। इस दर पर वार्षिक वृद्धि अभी हाल ही में हासिल की गयी वार्षिक वृद्धि दर से कम तथा संभावित वृद्धि दर से काफी कम रहेगी। अतः अल्पावधि में चुनौती इस बात की रहेगी कि व्यापार भावना को बढ़ाया जाए, उत्पादक गतिविधियों में कई गुणा निवेश किया जाए तथा काफी कम अवधि में दूर किए जा सकने वाली अड़चनों की पहचान की जाए। सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कोयला तथा बिजली में अड़चने दूर करने के लिए पहले ही कुछ त्वरित उपाय किए हैं तथा कुछ प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों के परियोजना कार्यान्वयन पर जोर भी दे रही है। शीर्षस्थ मुद्रास्फीति के कम होने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम होने से तथा हाल के महीनों में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में निर्माण प्रदर्शन के पुनरूद्धार से भारत के औद्योगिक क्षेत्र में अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उछाल आने की सम्भावना है।

9.57 मध्यम से दीर्घ अवधि में कुछ चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अपने अवधारणा पत्र में योजना आयोग ने यह कहा है कि 9 प्रतिशत तथा 9.5 प्रतिशत वृद्धि हेतु निर्माण क्षेत्र को क्रमशः 9.8 प्रतिशत तथा 11.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि करनी होगी। पूर्व भागों में की गयी चर्चा के अनुसार एनएमपी ने इससे भी अधिक 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि की संकल्पना की है ताकि सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण का अंश 25 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सके तथा इस क्षेत्र में वर्तमान में

लगभग 50 मिलियन श्रमिकों से 2022 तक 150 मिलियन से अधिक श्रमिकों तक बढ़ाया जा सके।

9.58 निर्माण क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत अंश तक पहुंचाने के एनएमपी के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता है उनमें से कुछ भारत के समग्र विकास की प्राथमिकताओं तथा कार्ययोजनाओं का भाग हैं। ऐसे कुछ नीतिगत उपाय हैं, जिनकी यहां संक्षिप्त चर्चा की गयी है तथा उनका एक साथ अनुसरण करना होगा।

- पहला, औद्योगिक तथा अवसंरचना उपयोग हेतु भूमि की उपलब्धता के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि को सुविधात्मक बनाने हेतु एनआईएमजेड एक प्रमुख साधन है जो कि भूमि अधिग्रहण हेतु सोची-समझी तथा मानक पहुंच के अभाव में सम्भव नहीं है। निर्माण हेतु कृषि भूमि का आवंटन कृषि उत्पादकता तथा खाद्य-सुरक्षा जैसे मुद्दे से महत्वपूर्ण रुप से जुड़ा हुआ है। निर्माण तथा कृषि दोनों के लिए लाभप्रद स्थिति तभी बन सकती है यदि कृषि उत्पादकता को उन स्तरों तक बढ़ाया जाए जहां पर खाद्य सुरक्षा हेतु इस क्षेत्र में भूमि तथा श्रम दोनों ही की आवश्यकता कम हो।

- दूसरा, एनएमपी में विनिर्धारित उद्देश्यों हेतु तरक्की करने के लिए निर्माण क्षेत्र के अगले और पिछले दोनों लिंकों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र (असली क्षेत्रों से अलग) की वृद्धि काफी हद तक निर्माण क्षेत्र की वृद्धि पर निर्भर करती है। इसी प्रकार गुणवत्ता के मानकों सहित सेवा क्षेत्र की वृद्धि निर्माण क्षेत्र में उत्पादकता में सुधारों में योगदान कर सकती है। बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन, संचार तथा कौशल विकास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वृद्धि प्रतिस्पर्धात्मक तथा ऊर्जावान निर्माण क्षेत्र से होती है। भारत में निर्माण क्षेत्र में सेवा क्षेत्र से इस सशक्त उन्नत लिंकेज की तरह कृषि क्षेत्र के कमजोर लिंकेज की तरह कृषि क्षेत्र के कमजोर होने के कारण उसके साथ पिछली लिंकेज नहीं हो पायी क्योंकि कृषि-आधारित उद्योगों के विकास की अपर्याप्त गति होने के कारण निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की सम्भावना का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका।

- तीसरा, निर्माण के भीतर, उच्च मूल्य-संवर्धन उद्योगों के पक्ष में ढांचागत बदलाव की आवश्यकता है। उच्च-सुस्पष्टता वाली मशीनरी, भेषजों, जैवप्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, रक्षा उत्पादन तथा हवाई अंतरिक्ष उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों, जिनमें विविधता की गुंजाइश है, में विशिष्ट नीतिगत बल देने की आवश्यकता है। इनमें से कई क्षेत्रों में व्यापक तथा बढ़ती हुई घरेलू मांग का लाभ उठाते हुए उपयुक्त विदेशी सहयोगियों को आमंत्रित करके देश में उत्पादन सुविधाएं शुरु कर सकते हैं। यह इस क्षेत्र से मूल्य संवर्धन बढ़ाते हुए भारतीय निर्माण को नया आयाम दे सकती है। निर्माण में नया आयाम प्राप्त करना न केवल निर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु अपितु औद्योगिक आधार में विविधता लाने हेतु भी महत्वपूर्ण है।

- चौथा, भारत में निवेश की आवश्यकता घरेलू बचत के संसाधनों की उपलब्धताओं से अधिक रहेंगी। 2005-11 के दौरान निवेश-बचतों का अंतर सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत था। इस अंतर को पाटने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वोत्तम तरीका है। हालांकि, हमारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति अब और खुली और पारदर्शी है तथा उसमें संस्थागत समीक्षा प्रणाली है, कुछ ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना है तथा जिनमें सतत रुप से मामूली सुधार करने की आवश्यकता है।

- पांचवां, प्रत्यक्ष कर कोड (डीटीसी) के कार्यान्वयन से उद्योग को कर छूट के माध्यम से प्रोत्साहित करना मुश्किल हो जाएगा। निर्यात में ड्यूटी एन्टाइटल्मेंट पास बुक (डीईपीबी) समाप्त हो जाएगी। नयी प्रोत्साहन प्रणाली को, वैश्विक मानक बरकरार रखते हुए वैश्विक कीमतों पर गैर-व्यापारिक अवसंरचना सेवाएं उपलब्ध कराने पर, निर्भर रहना होगा। यह अधिक आपूर्ति-केन्द्रित होगी तथा यह घरेलू निर्माण क्षेत्र को सापेक्ष लागत की प्रतिकूलताओं को काफी हद तक कम करके उसकी वृद्धि प्रोत्साहित करेगी।

- छठा, नए निर्माण क्षेत्र को पर्यावरण-अनुकूल होने की आवश्यकता है। पर्यावरण मुद्दों में संसाधनों की खोज, खुदाई तथा उपयोग व उनका मूल्य निर्धारण शामिल है। निर्माण हेतु संसाधन आवश्यकताओं में पर्यावरण की सामंजस्यपूर्ण तथा सम्पोषणीय सुरक्षा के लिए कुछ संतुलन की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों की कीमत निर्धारण तथा आबंटन हेतु और अधिक पारदर्शी नीतिगत ढांचा बनाना इस संबंध में सम्भावित रुप से पहला कदम होगा।

9.59 व्यापार शुरु करने के लिए समेकित सूचना की कमी तथा अनुमोदनों की वर्तमान प्रणाली में एक समग्र आनलाइन सेवा डिलीवरी पटल के अभाव ने इस प्रक्रिया को श्रमशील, वक्त लगने वाली और महंगी बना दिया है। व्यापारों हेतु और निवेशकों के समय तथा मेहनत बचाने के उद्देश्य से तथा व्यापार माहौल को सुधारने हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के अंतर्गत ई-मिशन मोड योजना के रूप में एक ऑनलाइन एकल खिड़की की अवधारणा की गयी है। कार्यान्तरित करने वाली इस योजना की मुख्य उपयोगिता सरकारी सेवा उपलब्ध कराने का नजरिया विभाग-केन्द्रित से ग्राहक-केन्द्रित करने हेतु एक क्रान्तिकारी अन्तर है। ई-बिज न केवल सूचना और सेवाओं हेतु 24X7 सुविधा सृजित करेगा, बल्कि इसके साथ ग्राहक द्वारा कई अनुमतियों, स्वीकृतियों, अनुमोदनों तथा पंजीकरणों हेतु प्रस्तुत एकल आवेदन को कई सरकारी

एजेन्सियों को तार्किक रुप से स्वयंमेव भेजने जैसी जुड़ी हुई सेवाएं भी मुहैया कराएगा। भुगतान हेतु एक इनबिल्ट (जुड़ी हुई) सुविधा से सभी भुगतानों को एक स्थान पर एकत्र करके तथा उन्हें उचित रुप से विनियोजित करने की सुविधा भी जोड़ी जा सकती है। इस पहल को बढ़ाने तथा इसके कार्यान्वयन को द्रुतगति देने की आवश्यकता है।

9.60 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पास कचरा त्यागने के बहुत से सांविधिक दायित्व हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, उपदान का भुगतान अधिनियम, व्यक्तिगत हानि (क्षतिपूर्ति बीमा) अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, आदि कुछ ऐसे मुख्य कानून हैं जो औद्योगिक इकाईयों से केवल नियमित भुगतान की अपेक्षा नहीं रखते, बल्कि आवधिक विवरणियां दायर करने तथा रजिस्टरों व रिकार्ड के अनुरक्षण की भी अपेक्षा रखते हैं। यह केवल उद्योग की लेनदेन लागत में ही वृद्धि नहीं करता, बल्कि यह कई तरीकों से समर्थ निवेशक को हतोत्साहित करता है। एक वैकल्पिक कार्यप्रणाली पर विचार करना अच्छा होगा जो एसएमई की सीमित मानवशक्ति और संसाधनों के मुद्दों को हल कर सके, जो सांविधिक दायित्वों को अधिक कुशल और मितव्ययी ढंग से पूरा करने तथा नियोजक और कर्मचारी दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए बड़े खिलाड़ियों हेतु प्राय: असंतोषजनक है।